बिहार सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

अधिसूचना

संख्या 8/व3–157/2003 अंश1 533 पटना, दिनांक 12.05.2011 बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 38 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में राज्यपाल, बिहार सरकार, निम्नवत् बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 बनाते हैः

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

भाग–I
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभः–

1. 1. यह नियमावली "बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011" कहलायेगी।

2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

3. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2. 1. इस नियमावली में जबतक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बच्चों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009;

(ख) "आँगनबाड़ी" से अभिप्रेत है, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन संचालित समेकित बाल विकास योजना के अधीन संचालित आँगनबाड़ी केन्द्र;

(ग) "निर्धारित तिथि" से अभिप्रेत है, 1 अप्रैल, 2010, जिस तिथि से अधिनियम प्रभावी माना गया है;

(घ) "अध्याय" "धारा" एवं "अनुसूची" से क्रमशः अभिप्रेत है, अधिनियम का अध्याय, धारा एवं अनुसूची;

(च) "बच्चा" से अभिप्रेत है, 6–14 आयुवर्ग का कोई बच्चा;

(छ) "छात्र संचयी अभिलेख" से अभिप्रेत है, बच्चा के व्यापक तथा सतत मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया गया प्रगति–संबंधी अभिलेख;

(ज) "विद्यालय–मानचित्रण" से अभिप्रेत है, सामाजिक अवरोध एवं भौगोलिक दूरी को ध्यान में रखकर तैयार की गयी विद्यालय की स्थापना–संबंधी योजना;

(झ) "शैक्षिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है, मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार;

(ट) "प्राथमिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वर्ग 1 से वर्ग 5 तक का विद्यालय;

(ठ) "प्रारंभिक विद्यालय" से अभिप्रेत है, वर्ग 1 से वर्ग 8 तक का विद्यालय;

(ड) किसी विद्यालय के संदर्भ में "पड़ोस" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार के द्वारा अधिसूचित बसाव क्षेत्र जहाँ का बच्चा इस नियमावली के अधीन संबंधित विद्यालय में नामांकन के लिए हकदार है;

(ढ) "प्रस्वीकृति हेतु जिला में गठित समिति" से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम 11 के अधीन गठित समिति;

(त) "प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी;

(थ) "प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति" से अभिप्रेत है, नियमावली के नियम 13 के अधीन गठित एवं इस नियमावली के अधीन निबंधित समिति;

(द) "माता–पिता–सभा" से अभिप्रेत है, प्राथमिक/मध्य/बुनियादी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के माता–पिता की सभा;

(ध) "माता–पिता" से अभिप्रेत है, वे माता–पिता जिनके बच्चा/बच्चे विद्यालय में नामांकित हो;

(न) "अभिभावक" से अभिप्रेत है, सक्षम न्यायालय के द्वारा घोषित "वैधानिक अभिभावक";

(प) "सामान्य निर्वाचन" से अभिप्रेत है, प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति के लिए विहित अवधि "3 (तीन) वर्षों" की समाप्ति पर किया गया, निर्वाचन;

(फ) "अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में सम्यक् रूप से नामांकित किया गया है और जो अपने आप को संबंधित निर्वाचन में भावी उम्मीदवार के रूप में पेश करता है;

(ब) "निर्वाचक" से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस विद्यालय की निर्वाचक सूची में तत्समय अंकित है;

(भ) "निबंधन पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के अधीन निर्वाचक सूची तैयार करने हेतु प्राधिकृत कोई पदाधिकारी;

(म) "निर्वाची पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, विद्यालय शिक्षा समिति का निर्वाचन संपन्न कराने हेतु इस रूप में नियुक्त कोई पदाधिकारी;

(य) "सहायक निर्वाची पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, निर्वाची पदाधिकारी की सहायता हेतु इस रूप में नियुक्त व्यक्ति अथवा पदाधिकारी;

(र) "पंचायती राज संस्था" से अभिप्रेत है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद्;

(ल) "नगर निकाय" से अभिप्रेत है, नगर पंचायत, नगर परिषद् एवं नगर निगम;

(व) "निर्वाचन प्राधिकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकार;

(श) "पोषक क्षेत्र" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकार द्वारा घोषित वह क्षेत्र जो विद्यालय हेतु रेखांकित किया गया है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी संयुक्त रूप से इसके लिए सक्षम प्राधिकार होंगे;

(ष) "अलाभकारी समूह के बच्चे" से अभिप्रेत है, वैसे बच्चे जिसे सरकार इस नियमावली के कार्यान्वयन हेतु घोषित करे;

(स) "कमजोर वर्ग के बच्चे" से अभिप्रेत है, वैसे बच्चे जिसे सरकार इस नियमावली के कार्यान्वयन हेतु घोषित करे।

(2) इस नियमावली में सभी "संदर्भित प्रपत्रों" से अभिप्रेत है, अनुलग्नक के रूप में संलग्न प्रपत्र।

(3) इस नियमावली में प्रयुक्त सभी शब्द एवं अभिव्यक्तियाँ जो इस नियमावली में परिभाषित नहीं हैं और जिन्हें अधिनियम में परिभाषित किया गया है उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में परिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के हैं।

भाग–II

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

अधिनियम की धारा 4 के प्रथम परंतुक के प्रयोजनार्थ विशेष प्रशिक्षण

3. (1) विद्यालय शिक्षा समिति/स्थानीय प्राधिकार, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को चिह्नित करेगा तथा उनके लिए ऐसा प्रशिक्षण निम्नांकित तरीके से आयोजित करेगा:–

(क) विशेष प्रशिक्षण शैक्षिक प्राधिकार द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गयी उम्र–सापेक्ष अधिगम सामग्री पर आधारित होगा;

(ख) यह प्रशिक्षण विद्यालय के परिसर में अथवा सुरक्षित आवासीय व्यवस्था के अन्तर्गत आयोजित किया जाएगा;

(ग) यह प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा;

(घ) इस प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 3 (तीन) महीनों की होगी, जिसे बच्चों की अधिगम प्रगति के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम 2 (दो) वर्षों तक विस्तारित किया

जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में अधिकतम 2 (दो) वर्षों की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा;

(2) विशेष प्रशिक्षण के पश्चात उम्र–सापेक्ष कक्षा में नामांकन के बाद संबंधित विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा इस कोटि के बच्चों पर तब तक विशेष ध्यान दिया जाएगा जब तक कि वे कक्षा के अन्य बच्चों के साथ शैक्षिक एवं भावनात्मक रूप से सफलतापूर्वक जुड़ न जाएँ।

भाग– III

राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार के कर्त्तव्य

अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजनार्थ क्षेत्र अथवा सीमा का निर्धारण

4. (1) राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किये जाने वाले विद्यालयों के लिए पड़ोस का क्षेत्र एवं सीमा निम्नवत् होगीः–

(क) प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वैसे सभी बसाव–क्षेत्र, जहाँ 6–14 आयुवर्ग के बच्चों की संख्या कम–से–कम 40 (चालीस) हो, के 1 (एक) कि०मी० की सीमा के अन्तर्गत की जाएगी;

(ख) प्रारंभिक विद्यालयों की स्थापना किसी बसाव–क्षेत्र के 3 (तीन) कि०मी० की सीमा के अन्तर्गत की जाएगी;

(2) राज्य सरकार आवश्यकतानुसार प्राथमिक विद्यालयों को प्रारंभिक विद्यालयों में उत्क्रमित कर सकेगी।

(3) कठिन धरातलीय प्रकृति वाले क्षेत्र, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, सड़कविहीन क्षेत्र, भूस्खलन/कटाव से प्रभावित क्षेत्र और वैसे क्षेत्र जिसमें छात्रों को विद्यालय पहुँचाने का खतरा हो, हेतु राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार विद्यालयों की स्थापना इन कठिनाईयों एवं इस प्रकार की खतरों को दूर करते हुए करेगी तथा इसके लिए नियम 4 के उपनियम (1) में निर्धारित सीमा इस हद तक शिथिल की जा सकेगी।

(4) अत्यंत छोटे बसाव–क्षेत्र जो राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के द्वारा चिह्नित किये गये हों तथा जिसके क्षेत्र एवं सीमा के पड़ोस में उपनियम (1) के अधीन कोई विद्यालय नहीं हो वहाँ के बच्चों के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा मुफ्त यातायात, आवासीय सुविधा एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त उपाय किये जाएँगे, जिससे छात्रों को सहज रूप से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध हो सके।

(5) उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार 6–14 आयुवर्ग के बच्चों की जनसंख्या के आधार पर एक से अधिक पड़ोसी विद्यालयों की स्थापना करने पर विचार कर सकेगी।

(6) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकार अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी बसाव–क्षेत्रों के लिए पड़ोसी विद्यालयों, जहाँ के बच्चे सुगमतापूर्वक नामांकित हो सकेंगे, को चिह्नित करेगा तथा इस आशय की सूचना उस बसाव–क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत रहने वाले जनसाधारण को उपलब्ध करायेगा।

(7) निःशक्त बच्चों के मामलों में जहाँ निःशक्तता, उन्हें विद्यालय पहुँचने में व्यवधान उत्पन्न करती है, राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार उनके लिए उपयुक्त एवं सुरक्षित यातायात का प्रबंध कर सकेगी ताकि वे विद्यालय पहुँच सकें एवं अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर सकें।

(8) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में बच्चों की पहुँच सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों से बाधित न हो।

अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार का दायित्व

5. (1) निम्नांकित कोटि का प्रत्येक बच्चा मुफ्त पाठ्यपुस्तक, लेखन–सामग्री एवं पोशाक पाने का हकदार होगाः–

(क) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (i) के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों के बच्चे;

(ख) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (b) के अनुपालन में अधिनियम की धारा (2) की कंडिका (n) की उप कंडिका (ii) के अन्तर्गत आने वाले विद्यालय के बच्चे;

(ग) अधिनियम की धारा 12 की कंडिका (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में धारा 2. की कंडिका (n) की उप–कंडिका (iii) एवं (iv) के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में नामांकित बच्चे।

परन्तु यह कि निःशक्त बच्चों को विशेष अधिगम एवं सहायक सामग्री भी उपलब्ध करायी जाएगी।

व्याख्या: अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) एवं धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (b) के अनुपालन में नामांकित बच्चों को मुफ्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्रमशः अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (iii) और (iv) एवं धारा 2 की कंडिका (n) की उप–कंडिका (ii) के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों की होगी।

(2) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार पड़ोसी विद्यालयों के निर्धारण एवं स्थापना के लिए विद्यालय मानचित्रण करेगी और सभी बच्चों, जिसमें सुदूर क्षेत्र के बच्चे, निःशक्त बच्चे, अलाभकारी समूह के बच्चे, कमजोर वर्ग के बच्चे तथा अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आने वाले बच्चे सम्मिलित होंगे, की पहचान निर्धारित तिथि के 1 (एक) वर्ष के अंदर करेगी और उसके बाद प्रतिवर्ष इसे अद्यतन करेगी।

(3) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी बच्चे के साथ जाति/वर्ग/धर्म या लिंग के आधार पर विद्यालय में भेदभाव न हो।

(4) अधिनियम की धारा 8 की कंडिका (c) और धारा 9 की कंडिका (c) की उद्देश्य–पूर्ति के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगी कि कमजोर वर्ग का बच्चा और अलाभकारी समूह का बच्चा, मध्याह्न भोजन के दौरान, खेल के मैदान में, पानी पीने के समय, शौचालय सुविधाओं का उपयोग और वर्ग–कक्ष या शौचालय साफ–सफाई के दौरान किसी भी प्रकार के भेदभाव का शिकार न हो।

अधिनियम की धारा 9 की कंडिका (d) के प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकार द्वारा बच्चों के अभिलेखों का संधारण

6. (1) स्थानीय प्राधिकार अपने क्षेत्रान्तर्गत गृहवार सर्वेक्षण के माध्यम से सभी बच्चों को उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु होने तक का अभिलेख संधारित करेगा।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेखों का प्रत्येक वर्ष अद्यतनीकरण किया जाएगा।

(3) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख का इस तरह पारदर्शी रूप से संधारित किया जाएगा जिससे कि जनसाधारण इसका अवलोकन कर सके एवं अधिनियम की धारा 9 की कंडिका (c) के प्रावधानों के अनुरूप इसे उपयोग में लाया जा सके।

(4) उपनियम (1) में संदर्भित अभिलेख में बच्चों के संबंध में निम्न सूचनाओं को सम्मिलित किया जाएगा:–

(क) नाम, लिंग, जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र संख्या सहित), जन्म स्थान;

(ख) माता–पिता/अभिभावक का नाम, पता एवं व्यवसाय;

(ग) पूर्व प्राथमिक विद्यालय/आँगनबाड़ी केन्द्र, जहाँ बच्चे 6 वर्ष की आयु तक सम्मिलित हुए हों;

(घ) प्राथमिक/प्रारंभिक विद्यालय, जहाँ बच्चा नामांकित हुआ हो;

(च) बच्चे का वर्तमान पता;

(छ) वर्ग, जिसमें बच्चा पढ़ रहा हो (6–14 आयु के बच्चों हेतु) एवं अगर संबंधित स्थानीय प्राधिकार के क्षेत्रान्तर्गत बच्चे की शिक्षा बाधित हुई हो, तो इस बाधा का कारण;

(ज) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (e) में निहित अर्थ के अनुसार क्या बच्चा कमजोर वर्ग का है?

(झ) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (d) में निहित अर्थ के अनुसार क्या बच्चा अलाभकारी समूह का है?

(ट) विस्थापन एवं विरल जनसंख्या, उम्र सापेक्ष नामांकन, निःशक्तता के कारण आवश्यक विशेष सुविधा/आवासीय सुविधाओं की जरूरत वाले बच्चों का विवरण।

(5) स्थानीय प्राधिकार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके क्षेत्रान्तर्गत विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों का नाम विद्यालय में आमजन के अवलोकन हेतु उपलब्ध रहे।

भाग– IV

विद्यालयों एवं शिक्षकों का दायित्व

धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के प्रयोजनार्थ कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का नामांकन

7. (1) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (iii) एवं (iv) में संदर्भित विद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि वे बच्चे जो धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अन्तर्गत उनके विद्यालय में नामांकित हुए हैं, उन्हें अन्य बच्चों से कक्षाओं में भेद–भाव या अलग–थलग नहीं किया जाए, न ही उनकी कक्षाएँ किसी अन्य स्थान या अन्य समय जो विद्यालय के अन्य बच्चों से अलग हों, आयोजित किए जाएँ।

(2) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (iii) एवं (iv) के अन्तर्गत संदर्भित विद्यालय, उन बच्चों के साथ जो अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में विद्यालय में नामांकित हुए हों, उन्हें खेल, सहगामी पाठ्यचर्या, सूचना एवं संचार तकनीकी के शिक्षण की सुविधा, पुस्तकालय, पोशाक, पाठ्यपुस्तक आदि सुविधाएँ जिसे प्राप्त करने का अधिकार उन्हें प्राप्त है, के संबंध में सामान्य बच्चों से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे।

(3) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अनुपालन में नामांकित होने वाले बच्चों के लिए पड़ोस का क्षेत्र एवं सीमा, नियम 4 के उपनियम (1) के अनुरूप प्रयोग में लायी जाएगी।

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (1) की कंडिका (c) के अन्तर्गत आने वाले बच्चों के लिए आवश्यक प्रतिशत को भरने के लिए विद्यालय, पड़ोस की सीमाओं को राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् बढ़ा सकता है।

अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा प्रति बच्चा व्यय की प्रतिपूर्ति

8. (1) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अधिगृहित, नियंत्रित अथवा प्राधिकारों द्वारा नियंत्रित विद्यालयों में राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों पर किए जा रहे कुल वार्षिक आवर्ती व्यय, चाहे वह राज्य सरकार अपनी निधि से या केन्द्र सरकार की निधि से या किसी अन्य प्राधिकार की निधि से व्यय करती है, उस राशि को सभी बच्चे, जो उन विद्यालयों में नामांकित होंगे, उनसे भाग करने पर जो राशि प्राप्त होगी, उसे राज्य सरकार के द्वारा प्रति बच्चा व्यय माना जाएगा, जिसका निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा प्रति वर्ष किया जाएगा। विद्यालय को राशि का भुगतान प्रस्वीकृति के लिए गठित समिति की अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से चेक के द्वारा की जायगी।

व्याख्या:– (1) प्रति बच्चा व्यय की गणना के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उपकंडिका (ii) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों एवं इन विद्यालयों में नामांकित छात्रों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक विद्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि के लिए एक अलग बैंक खाता संचालित किया जायगा।

अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उम्र–प्रमाण के लिए दस्तावेज

9. जहाँ जन्म, मृत्यु एवं विवाह निबंधन अधिनियम 1886 के अन्तर्गत जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो; वैसी परिस्थिति में विद्यालयों में बच्चों के नामांकन के लिए निम्न दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालय में प्रवेश के लिए जन्म का प्रमाण माना जाएगाः–

(क) अस्पताल/ऑक्जीलियरी नर्स या मिड वाईफ पंजी अभिलेख;

(ख) ऑंगनबाड़ी अभिलेख; एवं

(ग) बच्चे के अभिभावक या माता–पिता द्वारा बच्चे के उम्र हेतु दिया गया घोषणा–पत्र।

अधिनियम की धारा 15 के प्रयोजनार्थ नामांकन के लिए विस्तारित अवधि

10. (1) नामांकन की विस्तारित अवधि विद्यालयों के शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने के छः माह तक की होगी।

(2) विस्तारित अवधि के पश्चात् अगर कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित होता है तो वह विशेष प्रशिक्षण के द्वारा अपने अध्ययन को पूर्ण करने का पात्र होगा जैसा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनार्थ विद्यालयों की प्रस्वीकृति

11. (1) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के द्वारा स्थापित, धारित या नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर, प्रत्येक विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु प्रत्येक जिला में एक तीन सदस्यीय समिति निम्नवत् गठित की जाएगीः–

(क) जिला शिक्षा पदाधिकारी – संयोजक;

(ख) जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत उपसमाहर्त्ता स्तर का एक पदाधिकारी–सदस्य;

(ग) जिला शिक्षा अधीक्षक – सदस्य सचिव।

(2) राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के द्वारा स्थापित, धारित या नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर, प्रत्येक विद्यालय के द्वारा, जो इस नियमावली के लागू होने के पूर्व से स्थापित हैं, उन्हें इस नियमावली के लागू होने के छः माह के अंदर प्रपत्र–1 में समिति के सदस्य सचिव के समक्ष अधिनियम के परिशिष्ट में अंकित मानक एवं मानदंडों के अनुपालन के संबंध में एवं निम्नांकित शर्त्तो के संबंध में स्वघोषणा के माध्यम से जानकारी दी जाएगीः

(क) यह कि विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत् निबंधित किसी सोसाइटी या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित लोक न्यास के द्वारा संचालित किया जा रहा है;

(ख) यह कि विद्यालय किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति समूह या किन्हीं व्यक्तियों के संघ या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा लाभ के लिए संचालित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यह कि विद्यालय संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप कार्य करता है;

(घ) यह कि विद्यालय के भवन अथवा अन्य संरचनाओं या मैदान का उपयोग शिक्षा के लिए और दक्षता विकास के लिए ही होता है;

(च) यह कि विद्यालय राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु खुला है;

(छ) यह कि निदेशक, प्राथमिक शिक्षा अथवा जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा समय–समय पर माँगी गई सूचनाओं एवं प्रतिवेदनों को विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा तथा मान्यता की शर्त्तो को लगातार पूरा करने तथा इसे सुनिश्चित करने के लिए अथवा विद्यालयी क्रियाकलाप की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा जो निदेश जारी किए जाएँगे, उनका अनुपालन विद्यालय द्वारा किया जाएगा।

(3) सदस्य सचिव द्वारा प्रपत्र–1 में प्राप्त प्रत्येक स्वघोषणा पत्र को प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सार्वजनिक किया जाएगा।

(4) स्वघोषणा प्राप्त होने के 3 (तीन) महीनों के अंदर समिति अथवा समिति के सदस्य वैसे सभी विद्यालयों का स्थल–विशेष पर जाकर निरीक्षण करेंगे, जिन्होंने प्रपत्र–1 में निहित मानकों एवं मानदंडों तथा शर्त्तो, जो उपनियम 2 में उल्लिखित हैं, को पूरा करने से संबंधित दावा किया है।

(5) उपनियम (4) के अनुसार निरीक्षण करने के पश्चात समिति के सदस्य सचिव के द्वारा निरीक्षण–प्रतिवेदन जनसाधारण की जानकारी हेतु रखा जाएगा और जो विद्यालय मानकों, मानदंडों एवं शर्त्तो के अनुरूप पाये जायेंगे, उन्हें समिति के द्वारा 15 दिनों के अंदर प्रपत्र–2 में प्रस्वीकृति दी जाएगी।

(6) जो विद्यालय उपनियम (2) के मानकों, मानदंडों एवं शर्त्तो के अनुरूप नहीं पाये जाते हैं, उनकी सूची समिति के सदस्य सचिव के द्वारा तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी।

संबंधित विद्यालय जिन्हे प्रस्वीकृति नहीं प्रदान की गई है, वे निर्धारित तिथि के 3 (तीन) वर्षो के अंदर मानकों, मापदंडों एवं शर्त्तो को पूरा करते हुए विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु पुनः समिति के समक्ष अनुरोध कर सकेंगे।

(7) जो विद्यालय उपनियम 2 में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्त्तो को इस अधिनियम के लागू होने के 3 (तीन) साल तक पूरा नहीं करते, वे कार्य करना बंद कर देंगे।

(8) इस नियमावली के लागू होने के बाद स्थापित विद्यालय, जो राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित या धारित नहीं हैं, को उपनियम 2 में उल्लिखित मानकों, मानदंडों एवं शर्त्तो को पूरा करना होगा, जिससे कि वे प्रस्वीकृति प्राप्त करने के हकदार हो सकें।

(9) वैसे विद्यालय जो निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्वीकृति प्राप्त किए बिना संचालित रहते है, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड के भागी होंगे। प्रस्वीकृति के लिए गठित समिति दंड के संबंध में सक्षम प्राधिकार होगी।

अधिनियम की घारा 18 की उपधारा (3) एवं धारा 19 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ विद्यालयों की प्रस्वीकृति का प्रत्याहरण

12. (1) जहाँ समिति के सदस्य/सदस्यों को स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर विश्वास करने का कारण बनता है, जिसका लिखित अभिलेख प्राप्त हो, कि नियम 11 के अन्तर्गत प्रस्वीकृत विद्यालय ने प्रस्वीकृति की एक अथवा एकाधिक शर्त्तो का उल्लंघन किया है या अधिनियम की अनुसूची (Schedule) में उल्लिखित मानकों को पूरा करने में असफल रहा है, वहाँ समिति निम्न रूपेण कार्य करेंगीः—

(क) मंजूरी की शर्त्तों के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए एक नोटिस जारी करेगी और एक महीना के अंदर स्पष्टीकरण मांगेगी;

(ख) स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने या स्पष्टीकरण नियत अवधि के अंदर नहीं प्राप्त होने की स्थिति में समिति के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण के उपरांत समिति इस आशय का निर्णय लेगी कि विद्यालय की प्रस्वीकृति कायम रखी जाए या इसे प्रत्याहरित कर लिया जाए;

(ग) प्रस्वीकृति के प्रत्याहरण संबंधी कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि विद्यालय को सुनवाई का अवसर न प्रदान किया गया हो;

प्रस्वीकृति—प्रत्याहरण संबंधी आदेश पारित करने के पूर्व मानव संसाधन विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

मानव संसाधन विकास विभाग के अनुमोदनोपरांत सदस्य सचिव विद्यालय की प्रस्वीकृति प्रत्याहरण संबंधी आदेश पारित करेंगे जिसमें प्रत्याहरण संबंधी कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।

(घ) नियम 12 के उपनियम 1 की कंडिका 'ग' के आलोक में निर्गत आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार में किसी प्रकार का अपील स्वीकार्य नहीं होगा।

(2) सदस्य—सचिव द्वारा निर्गत प्रस्वीकृति—प्रत्याहरण का आदेश आगामी शैक्षिक वर्ष से तुरंत प्रभावी होगा तथा आदेश में पड़ोस के विद्यालय का उल्लेख होगा जिसमें प्रस्वीकृति वापस किए गए विद्यालय के बच्चे नामांकित होंगे।

भाग— V

प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति

अधिनियम की धारा 21 एवं 22 के प्रयोजनार्थ विद्यालय प्रबंध समिति का गठन एवं कार्य

13. (1) राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार द्वारा स्थापित, नियंत्रित एवं धारित प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय के लिए एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा जिसके 75 प्रतिशत सदस्य माता—पिता/अभिभावक के द्वारा चुने जाएँगे।

(2) विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों के माता—पिता/अभिभावक सदस्य के चुनाव में भाग ले सकेंगे।

(3) नियम 13(1) के अन्तर्गत गठित समिति प्रारंभिक विद्यालय शिक्षा समिति कही जायेगी।

(4) समिति के सदस्यों की कुल संख्या 14 होगी जिसमें 12 सदस्य बच्चों के माता—पिता/अभिभावकों में से चुने जायगे। समिति के दो सदस्य पदेन होंगे जिसमें एक संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक/प्रधानाध्यापक होंगे तथा दूसरा ग्राम पंचायत अथवा नगर निकाय के वार्ड के निर्वाची सदस्य जहाँ विद्यालय अवस्थित होंगे। समिति का कार्यकाल 3 (तीन) वर्षो को होगा।

(5) विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य/सचिव/अध्यक्ष का निर्वाचन राज्य निर्वाचन प्राधिकार के निदेशन/नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में कराया जायेगा।

(6) प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक सूची तैयार की जायेगी।

(7) विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों के माता–पिता/अभिभावक विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचन में निर्वाचक के रूप में निबंधित किए जा सकेंगे। लेकिन अगर नामांकित बच्चा बिना स्वीकार्य कारणों/पूर्वानुमति के विद्यालय के 40 प्रतिशत कार्य दिवसों में अनुपस्थित रहा हो तो वैसे बच्चों के माता–पिता को निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में निबंधित नहीं किया जायेगा। निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में पागल/दिवालिया/सक्षम न्यायालय के द्वारा अपराधिक मामलों में दोषी पाए गए व्यक्तियों को निबंधित नहीं किया जायेगा।

(8) परन्तु यह कि अगर विद्यालय में पढ़ने वाले किसी बच्चे के पिता अथवा माता अथवा दोनों में से कोई जीवित नहीं हो, तो उसके अभिभावक, जो सक्षम न्यायालय द्वारा वैधानिक अभिभावक घोषित किए गए हो को निर्वाचक के रूप में निबंधित किया जा सकेगा। बच्चों के गोद लिये जाने की स्थिति में या अन्य मामले में अगर सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी को वैधानिक अभिभावक का दर्जा दिया गया है तो ऐसे अभिभावक निर्वाचक मंडल के सदस्य के रूप में सम्मिलित किये जा सकते हैं। माता–पिता के अतिरिक्त अन्य किसी को सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी परिस्थिति में अभिभावक के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा निर्वाचक मंडल में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(9) परन्तु यह भी कि अगर किसी माता–पिता के दो या दो से अधिक बच्चे हों, एवं वे दो भिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हों तो वैसी स्थिति में माता–पिता का नाम केवल उस विद्यालय की शिक्षा समिति की निर्वाचक सूची में सम्मिलित किया जायेगा जिसमें वे निर्वाचक के रूप में निबंधित होने की इच्छा जाहिर करेंगे। माता– पिता की इच्छा लिखित रूप में प्राप्त की जायेगी। एक बार लिखित विकल्प दिये जाने के बाद यह तबतक अपरिवर्तित रहेगा जबतक कि विद्यालय में माता–पिता के बच्चे पढ़ रहे है।

(10) निबंधन पदाधिकारी– निर्वाचन प्राधिकार के निदेशन, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति की निर्वाचक सूची मानव संसाधन विकास विभाग अथवा अन्य विभाग के ऐसे अधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी, जिसे संबंधित जिला दण्डाधिकारी इस निमित्त नियुक्त करे और जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से अन्यून स्तर का हो। ऐसे पदाधिकारी को निबंधन पदाधिकारी के रूप में जाना जायेगा। निबंधन पदाधिकारी अपनी अधिकारिता क्षेत्र अन्तर्गत निर्वाचक सूची की तैयारी से संबंधित सभी कार्यो का समन्वयन एवं पर्यवेक्षण करेगा। निबंधन पदाधिकारी निर्वाचक सूची तैयार करने में प्रारम्भिक विद्यालय/विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों की सहायता ले सकेगा।

(11) प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति की निर्वाचक सूची का प्रारूप हिन्दी में देवनागरी लिपि में प्रपत्र–3 में तैयार की जाएगी।

(12) (1) निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय की शिक्षा समिति की निर्वाचक सूची की पूर्ण प्रति का प्रारूप प्रकाशन निम्नलिखित स्थलों पर सर्वसाधारण के निरीक्षण हेतु चिपका कर किया जाएगा –

(क) विद्यालय के मुख्य सूचना पट पर;

(ख) संबंधित ग्राम पंचायत/नगर निकाय के कार्यालय में;

(ग) प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में;

(घ) किसी ऐसे सार्वजनिक भवन, पुस्तकालय, वाचनालय अथवा डाकघर में, जिसे निबंधन पदाधिकारी उचित समझे।

(2) इसके अलावा निबंधन पदाधिकारी द्वारा विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र–छात्राओं एवं अन्य शिक्षकों ग्राम/पंचायत/नगर निकाय के सदस्यों तथा गणमान्य नागरिकों के माध्यम से भी यह प्रचार–प्रसार किया जा सकेगा कि विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक सूची तैयार की गयी है तथा उपर्युक्त अंकित स्थानों पर इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

(13) उपर्युक्त तरीके से प्रकाशित निर्वाचक सूची के प्रकाशन के 5 दिनों के अंदर वैसे माता–पिता/अभिभावक अथवा केवल पिता या केवल माता जिनका नाम निर्वाचक सूची में सम्मिलित नहीं हो पाया है अथवा वैसे माता–पिता जिनका नाम सम्मिलित हो गया है जो अन्य अर्हत्ताओं को पूरा नहीं करते है यथास्थिति नाम जोड़ने अथवा नाम हटाने हेतु निबंधन

पदाधिकारी को क्रमशः प्रपत्र–4 एवं प्रपत्र–5 में आवेदन दे सकते है। नाम हटाने का आधार 13(7) में वर्णित सामान्य आर्हत्ता का अभाव होना होगा तथा एक ही बच्चे का एक से अधिक विद्यालयों में नामांकित होना होगा। 5 दिनों की विहित् अवधि के पश्चात दिए गए आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(14) निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त दावों एवं आपत्तियों की जाँच सरसरी तौर पर की जाएगी तथा स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में संक्षेप में कारण का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया जाएगा एवं तद्नुसार निर्वाचक सूची में आवश्यकतानुसार संशोधन कर लिया जाएगा। निबंधन पदाधिकारी स्वप्रेरणा से भी यथा प्रकाशित निर्वाचक सूची में किसी लिपिकीय भूल या तथ्यात्मक भूल या अपूर्ण प्रविष्टि को संशोधित कर सकेगा, अगर वह संतुष्ट है कि ऐसा किया जाना चाहिए। इस प्रकार संशोधित सूची अंतिम निर्वाचक सूची होगी जो पुनः प्रकाशित की जायगी तथा प्रकाशन के तुरन्त बाद प्रवृत्त हो जायगी एवं 3 (तीन) वर्षो तक प्रवृत्त रहेगी। 3 (तीन) वर्षो की अवधि बीत जाने के बाद नयी निर्वाचक सूची इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन तैयार की जायगी।

(15) निर्वाचक सूची का नवीकरण :– निर्वाचक सूची के नवीकरण का कार्य समिति के गठन के उपरान्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के द्वारा किया जाता रहेगा। विद्यालय में नये बच्चों के नामांकन होने की स्थिति में उनके माता–पिता के नाम सूची में जोड़े जा सकेंगे। पढ़ाई छोड़ देने/पढ़ाई पूरी कर लेने/स्थानान्तरित होने की स्थितियों में मतदाता सूची से संबंधित बच्चों के माता–पिता के नाम हटा दिये जायेंगे। प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक द्वारा कृत कार्रवाई की समीक्षा प्रत्येक तीन माह पर समिति की बैठक में की जायेगी और कार्रवाई अनुमोदित की जायेगी। निर्वाचक मंडल की सभा में प्रतिभागियों के सम्मिलित होने का आधार अद्यतन निर्वाचक सूची ही होगा।

(16) निर्वाचन पदाधिकारी– निर्वाचन प्राधिकार के समान्य अथवा विशिष्ट निदेश के अधीन अनुमंडल दण्डाधिकारी अथवा उनके समकक्षीय पदाधिकारी अपने क्षेत्राधीन प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन पदाधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो प्रखंड स्तरीय पर्यवेक्षक से न्यून श्रेणी का नहीं होगा। निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में प्रखंड कृषि पदाधिकारी/प्रखंड कनीय अभियन्ता/प्रखंड कल्याण पदाधिकारी/प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी/प्रखंड उद्योग पदाधिकारी/प्रखंड पंचायत पदाधिकारी/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक आदि अथवा इनके समकक्ष स्तर के पदाधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे। प्रखंड क्षेत्र में कार्यरत राजकीय/राजकीयकृत उच्च विद्यालयों के शिक्षक भी निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किये जा सकेंगें।

(17) सहायक निर्वाचन पदाधिकारी– निर्वाचन प्राधिकार के निदेशन के अधीन निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यो में सहायता हेतु अनुमंडल दण्डाधिकारी संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की अनुशंसा पर किसी एक अथवा एक से अधिक ऐसे प्रारम्भिक विद्यालयों के शिक्षक (प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/सहायक शिक्षक) को सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा जो उस विद्यालय से भिन्न किसी अन्य विद्यालय में पदस्थापित होगा, जिस विद्यालय की शिक्षा समिति के लिए निर्वाचन कराया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप अगर विद्यालय ''क'' की शिक्षा समिति के लिए निर्वाचन कराया जाना है तो ''क'' के निर्वाचन पदधिकारी के सहयोग हेतु विद्यालय ''ख'' ''ग'' .... अथवा अन्य विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक (प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/सहायक शिक्षक) को सहायक निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

(18) एक व्यक्ति एक से अधिक विद्यालय समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है– प्रखंड में विद्यालयों की संख्या अधिक होने एवं निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किये जाने हेतु अर्हित अधिकारियों की कमी के कारण एक अधिकारी को एक से अधिक विद्यालय समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी बनाये जाने की बाध्यता हो सकती है। अनुमंडल दण्डाधिकारी प्रत्येक प्रखंड में निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अधिकारियों की नियुक्ति इस प्रकार करेंगें कि एक निर्वाचन पदाधिकारी को अधिक से अधिक 10 (दस) विद्यालयों की शिक्षा समिति के निर्वाचन का दायित्व मिल सके। विद्यालयों की संख्या अधिक होने पर एक प्रखंड में एक से अधिक चरणों में निर्वाचन कराने का निर्णय जिला दंडाधिकारी की सहमति से लिया जा सकता है।

(19) सदस्यों के निर्वाचन की अधिसूचना– (क) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उसके गठन के उद्देश्य से अथवा सदस्यों के कार्यकाल की अवधि का समापन हो जाने के

पश्चात् इसके पुनर्गठन के उद्देश्य से निर्वाचन प्राधिकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश के अधीन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अपने जिलान्तर्गत स्थित प्रारम्भिक विद्यालयों की शिक्षा समितियों के सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रखंडवार तिथि अथवा तिथियों को निर्धारित करेगा। जिले में अवस्थित विद्यालयों की कुल संख्या को दृष्टि में रखते हुए तिथियों का निर्धारण इस प्रकार किया जाएगा कि पूरे जिले के विद्यालयों की शिक्षा समितियों का निर्वाचन अधिकतम पच्चीस तिथियों में निश्चित रूप से संपन्न हो जाए।

(ख) उपर्युक्त (क) के अधीन निर्धारित तिथि में जिला दंडाधिकारी द्वारा निर्वाचन प्राधिकार के अनुमोदन से परिवर्तन किया जा सकता है अगर अदृश्य एवं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक हो जाए एवं इस तरह परिवर्तित तिथि उपर्युक्त (क) के अधीन नियत तिथि या तिथियाँ समझी जाएगी;

(ग) उपर्युक्त (क) के अधीन अधिसूचना निर्वाचन की नियत तिथि से अथवा किसी विद्यालय शिक्षा समिति के कार्यकाल के पूरा होने के अधिकतम छः माह पूर्व निकाली जा सकेगी, उसके पहले नहीं;

(20) निर्वाचन की विशिष्टियों की सूचनाः– निर्वाचन प्राधिकार के निदेश के अधीन जिला दंडाधिकारी उपनियम 19 में उल्लिखित अधिसूचना में प्रत्येक विद्यालय की शिक्षा समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित नियत करेगाः–

(क) नामांकन दाखिल करने, संवीक्षा एवं नाम वापसी की तिथि, एक ही दिन होगा;

(ख) मतदान तथा निर्वाचन परिणाम घोषित करने की तिथि, नामांकन प्राप्ति के पाँचवें दिन होगा। मतदान 8 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ होगा तथा 3 बजे अपराह्न तक चलेगा। तत्पश्चात् उसी दिन मतगणना शुरू की जायेगी एवं निर्वाचन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(21) आरक्षित पदों का आवंटनः– माता–पिता सभा के निर्वाचक सूची से 12 (बारह) सदस्य निर्वाचित किये जाने हैः–

(क) किसी पद के लिए माता अथवा पिता में से एक ही व्यक्ति अभ्यर्थी बन सकता है। अगर समिति की सदस्यता के लिए माता ने अपनी अभ्यर्थिता पेश कर दी है, तो पिता अभ्यर्थी नहीं बन सकता है। कहने का अर्थ यह है कि किसी विद्यालय शिक्षा समिति में माता–पिता में से केवल माता या केवल पिता ही सदस्य बन सकता है, दोनों नहीं;

(ख) 12 (बारह) स्थानों में से 6 (छह) स्थान आरक्षित कोटि के होंगे तथा 6 (छह) स्थान अनारक्षित कोटि के होंगे। अनारक्षित कोटि के 6 (छह) स्थानों में से 3 (तीन) स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे तथा शेष 3 (तीन) स्थान महिला–पुरूष के लिए खुले रहेंगे। आरक्षित कोटि में 6 (छह) स्थानों में से 1 (एक) स्थान अनुसूचित जनजाति, 1 (एक) स्थान अनुसूचित जाति, 2 (दो) स्थान अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं 2 (दो) स्थान पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे;

(ग) अनुसूचित जनजाति का स्थान केवल उसी ग्राम पंचायत एवं नगर निकाय के आरक्षित होगा जहाँ की जनसंख्या का कमोवेश 5 (पाँच) प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निवास कर रहे हों अन्यथा अनुसूचित जनजाति का स्थान अनुसूचित जाति के लिए उपलब्ध हो जायेगें;

(घ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी एक की अनुपलब्धता की दशा में उनके स्थान पर दूसरी उपलब्ध कोटि के लिए स्थान आरक्षित हो जाएगा एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दोनों की अनुपलब्धता की दशा में दोनों स्थान अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एंव दोनों के लिए पद आरक्षित रहने की स्थिति में प्रथम चुनाव में अनुसूचित जनजाति का स्थान महिला के लिए आरक्षित होगा तथा अनुसूचित जाति का स्थान महिला एवं पुरूष दोनों के लिए खुला रहेंगा। द्वितीय चुनाव में अनुसूचित जनजाति का स्थान महिला एवं पुरूष के लिए खुला रहेंगा तथा अनुसूचित जाति का स्थान महिला के लिए आरक्षित रहेगा। तृतीय चुनाव में प्रथम चुनाव की स्थिति रहेगी।

(ड़) अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 2 (दो) स्थानों में से 1 (एक) स्थान महिला के लिए आरक्षित होगा;

(च) पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित 2 (दो) स्थानों में से 1 (एक) स्थान महिला के लिए आरक्षित होगा।

स्पष्टीकरण

प्रथम निर्वाचन से तात्पर्य है नियमावली प्रवृत होने के पश्चात इसके प्रावधानों के तहत किया गया पहला निर्वाचन, द्वितीय एवं तृतीय निर्वाचन से तात्पर्य है विहित समायावधि समाप्ति पर किये गये यथास्थिति द्वितीय एवं तृतीय निर्वाचन।

(22) विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका/सरकारी सेवक समिति के सदस्य नहीं चुने जायेंगेः– ऐसी स्थिति में जहाँ विद्यालय के शिक्षक/शिक्षिका/कोई सरकारी सेवक के बच्चे विद्यालय में नामांकित हों, पदस्थापित शिक्षक/शिक्षिका/सरकारी सेवक समिति के माता पिता के 12 (बारह) सदस्यों के समूह में सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अयोग्य माने जायेंगे। लेकिन शिक्षक/शिक्षिका/सरकारी सेवक के पति/पत्नी पर यह बंधेज लागू नहीं होगा। यही बंधेज वार्ड सदस्य पर भी लागू होगा, अर्थात अगर उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ भी रहे हो तब भी वे निर्वाचित सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्य नहीं माने जायेंगे।

समिति का कोई भी सदस्य दो विभिन्न कोटियों का प्रतिनिधित्व एक साथ नहीं कर सकेगा। उदाहरण स्वरूप वार्ड सदस्य के रूप में पदेन सदस्य समिति के माता–पिता समूह के सदस्य के रूप में निर्वाचन के योग्य नहीं होंगे भले ही उनके बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हों।

(23) निर्वाचन के लिए सूचना का प्रकाशनः– निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नियम 19 में उल्लिखित अधिसूचना द्वारा प्रकाशित कार्यक्रम से संबंधित सूचना विद्यालय के सूचना पट पर नामांकन की तिथि से कम से कम 7 (सात) दिन पूर्व प्रकाशित कर दी जायेगी और उसकी प्रति ग्राम पंचायत/नगर निकाय के कार्यालय में भी प्रकाशित की जायेगी। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का यह दायित्व होगा कि वे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के माध्यम से अथवा अन्य उपर्युक्त तरीके से सभी निर्वाचकों को उक्त कार्यक्रम की सूचना उपलब्ध करा दें। निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना प्रपत्र–6 में निर्गत की जायेगी। सूचना में नामांकन एवं मतदान की तिथि, स्थान एवं समय का उल्लेख निश्चित रूप से किया जायेगा।

(24) नामांकन पत्र दाखिल किया जाना एवं अन्य प्रक्रमों का संचालनः–

(क) निर्वाचन पदाधिकारी उपनियम 19 में निर्दिष्ट तिथि पर निर्वाचक सूची में अंकित माता–पिता में से इच्छुक उम्मीदवारों से आरक्षित/अनारक्षित स्थिति के अनुसार नामांकन पत्र की मांग करेगा। आरक्षित कोटि, यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग से नामांकन भरने वाले अभ्यर्थी को स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/अन्य सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपने नामांकन पत्र के साथ संलग्न करना होगा;

(ख) नामांकन पत्र प्रपत्र–7 में होगा और उस पर उम्मीदवार एवं कम से कम दो प्रस्तावक का हस्ताक्षर रहेगा। प्रस्तावक निर्वाचक सूची में अंकित माता–पिता के बीच में से ही होगा। नामांकन पत्र में कोटि अर्थात– आरक्षित कोटि/महिला सामान्य/ सामान्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा;

(ग) एक निर्वाचक को केवल एक उम्मीदवार का नाम ही प्रस्तावित करने का हक होगा;

(घ) जो निर्वाचक किसी उम्मीदवार का प्रस्तावक होगा, वह स्वयं उम्मीदवार नहीं होगा। इसी प्रकार एक उम्मीदवार किसी दूसरे उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं होगा;

(ड़) जैसे–जैसे नामांकन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा, उस पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा क्रमवार संख्या अंकित कर दी जायेगी, अर्थात सबसे पहले प्राप्त नामांकन पत्र पर क्रम संख्या–1, उसके बाद प्राप्त नामांकन पत्र पर क्रम संख्या–2 तथा इसी प्रकार अन्य क्रम संख्या अंकित की जायेगी।

(25) नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के नियत समय के समाप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्र देने वाले उम्मीदवारों के समक्ष उसकी सरसरी जाँच की जायेगी, और जो नामांकन पत्र नियमवली के नियम 13 के उप नियम 21, 22 एवं 24 के उपबंधो के अनुरूप न हो या जो व्यक्ति निर्वाचन के लिए अन्यथा पात्र न हो, उसे रद्द कर दिया जायेगा तथा विधिमान्य रूप से नामांकित उम्मीदवारों की सूची तैयार कर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उनका नाम उद्घोषित कर दिया जायेगा।

26. यदि विधिमान्य रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर हो, तो सभी उम्मीदवारों को अविलम्ब निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

27. यदि विधि मान्य रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक हो, तो निर्वाची पदाधिकारी किसी उम्मीदवार द्वारा अपना नाम लिखित रूप में वापस लेने के लिए एक घंटे का समय देगा। नाम वापसी प्रपत्र–8 द्वारा की जायगी और इस अवधि के बीत जाने के पश्चात् भी अगर नामांकित उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या से अधिक हो, तो पाँच (5) दिनों के अंदर विहित समय पर मतपत्र द्वारा मतदान कराया जायेगा। मतदान कराये जाने की स्थिति में विधिमान्य रूप से नामांकित प्रत्येक अभ्यर्थी को अनुसूची–1 में उल्लिखित प्रतीक चिह्नों से एक–एक प्रतीक अलग–अलग आवंटित किया जायेगा और इसकी सूचना संबंधित अभ्यर्थी को उसी समय अनुसूची–2 में अंकित प्रपत्र में दे दी जायेगी। विशेष परिस्थिति में अनुसूची–1 में अंकित प्रतीक चिह्न कम पड़ जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी अपने विवेक से संबंधित अभ्यर्थी को अन्य प्रतीक चिह्न आवंटित कर सकेगा।

28. निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा चुनाव प्राधिकार के निदेशानुसार मतपत्र तैयार किये जायगें। मतपत्र प्रपत्र–9 में तैयार किये जायगे। मतपत्र में अभ्यर्थियों के नाम एवं आवंटित प्रतीक चिह्न की अनुकृति साफ–साफ अंकित रहेंगी। निर्वाचकों के कुल संख्या समतुल्य मतपत्रों की प्रतियाँ तैयार कर निर्वाचन पदाधिकारी उस पर लगातार क्रमांक अंकित कर देंगे। माता–पिता सदस्यों द्वारा उनके बीच से 12 (बारह) सदस्यों के निर्वाचन के लिए मतपत्र कागज पर तैयार किये जायेगें।

29. तब निर्वाचन पदाधिकारी उपस्थित निर्वाचकों में से प्रत्येक को एक–एक कर अपने समक्ष बुलाएगा तथा निर्वाचक सूची में अंकित प्रवृष्टि से उनका नाम ढूँढ़ कर तथा उस पर लाल स्याही से निशान लगाकर उक्त निर्वाचक को मतपत्र देगा।

(30) अगर निर्वाचक की पहचान को किसी अभ्यर्थी द्वारा चुनौती दी जाये, तो तत्काल उस मतदाता को मतपत्र नहीं दिया जायेगा तथा निर्वाचन पदाधिकारी उससे निम्नलिखित प्रश्न करेगा–

(क) आप किस बच्चे के माता–पिता है एवं वह किस वर्ग में पढ़ता है ?

(ख) बच्चे की उम्र क्या है?

(ग) बच्चे के शरीर पर का कोई विशिष्ट चिह्न बताइए ?

(घ) इस बच्चे के अतिरिक्त आपके और कितने बच्चे हैं तथा क्या करते हैं ?

(ड.) यहाँ उपस्थित माता–पिता में से कौन–कौन लोग हैं जो यह कह सकते हैं कि आप वास्तविक निर्वाचक हैं ?

विद्यालय की नामांकन पंजी भी किसी बच्चे के माता–पिता की पहचान स्थापित करने में महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकती है।

अगर उक्त प्रश्नों के उत्तर से तथा शिक्षक एवं वहाँ उपस्थित अन्य माता–पिता से पूछने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी की यह संतुष्टि हो जाती है कि संबंधित व्यक्ति सही निर्वाचक है, तो उसे तुरंत मतपत्र दे दिया जायेगा। पहचान के संबंध में संतुष्ट नही होने पर निर्वाचन पदाधिकारी उसे मतपत्र नही देगा।

(31) मतपत्र निर्गत करने के पूर्व प्रत्येक मतपत्र की पीठ पर निर्वाचन पदाधिकारी अपना पूर्ण हस्ताक्षर कर देगा। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता को कहा जाएगा कि वे प्रत्येक मतपत्र पर रिक्तियों की संख्या के अनुसार अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने वाले स्तम्भ में अंकित प्रतीक चिह्न पर निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आपूरित मोहर से निशान लगाएँ।

(32) अगर किसी कोटि विशेष में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या एक है, एवं उम्मीदवार पाँच हैं तो मात्र एक उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर से निशान लगाया जाएगा। अगर चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या पाँच है एवं उम्मीदवार छः या उससे अधिक हैं, तो किन्ही पाँच उम्मीदवार के नाम के सामने मोहर से निशान लगाया जाएगा। अगर किसी मतदाता द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नाम के आगे मोहर से निशान लगा दिया जाता है तो वह मतपत्र रद्द माना जाएगा। अगर मतदाता द्वारा रिक्तियों की संख्या से कम उम्मीदवारों के नाम के सामने मोहर से निशान लगाया जाता है, तो वह मतपत्र अमान्य (invalid) नहीं माना जाएगा तथा जिन उम्मीदवारों के आगे मोहर से निशान लगाया रहेगा, मात्र उनके खाते में ही उक्त मत को शामिल किया जाएगा।

(33) मतदान शुरू करने के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी मतपेटियों को सभी निर्वाचकों को खोलकर दिखा देगा कि वे पूर्णरूपेण खाली हैं। मतपेटी को मतदान करने की स्थिति में लाकर उसके उपरी ढक्कन को तार के टुकड़े से बन्द कर दिया जायेगा तथा सील कर दिया जायेगा।

(34) मतदान के दौरान जो अभ्यर्थी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखने हेतु उपस्थित रहना चाहें, मतदान स्थल में उनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

(35) मतपेटी उसी प्रकार एवं विशिष्टि की होगी जो पंचायत चुनावों में प्रयोग में लायी जाती है। उक्त मतपेटियाँ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के आदेश से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। मतदाताओं की संख्या अगर 500 या उससे कम हो तो एक मतदान प्रकोष्ठ स्थापित किया जायेगा अन्यथा एक से अधिक प्रकोष्ठ स्थापित किये जायेंगे। कौन सा प्रकोष्ठ किस क्रमांक से किस क्रमांक के मतदाताओं के लिए निर्धारित है, यह संसूचित रहेगा।

(36) मतदाता मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् मतदान स्थल में बने मतदान प्रकोष्ठ (जो गोपनीयता हेतु कार्ड बोर्ड अथवा कपड़े से घेर कर बनाया जा सकता है) में जाएगा।

(ख) प्रत्येक मतपत्र पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने अंकित स्तम्भ में मोहर से निशान लगायेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ेगा ताकि उसका मत किसी को पता न चले, साथ ही मोहर का निशान अन्य नामांकित सदस्य के खाने में नहीं छपे;

(घ) मोड़े हुए मतपत्र को संबंधित मतपेटी में डालेगा; और

(ड़) मतदान हॉल से बाहर चला जाएगा;

(च) प्रत्येक मतदाता बिना अनुचित विलम्ब के मतदान करेगा।

(37) दृष्टिहीन/निःशक्त मतदाता द्वारा मतदान की विशेष व्यवस्थाः– यदि दृष्टिहीनता/निःशक्तता के कारण कोई मतदाता मतपत्र में प्रतीक चिह्न को पढ़ने में असमर्थ हो या अपना मतपत्र मतपेटी में डालने के लिए शारीरिक रूप से असमर्थ हो, तो वह विद्यालय में पढ़ने वाले अपने बच्चे अथवा अन्य बच्चे (अपने बच्चे की अनुपस्थिति पर) के साथ मतदान प्रकोष्ठ में प्रवेश कर सकेगा तथा उस बच्चे द्वारा मतदाता की इच्छानुसार मतपत्र पर मोहर लगाया जायेगा तथा उसे मतपेटी में डाला जायेगा। एक बच्चा किसी एक मतदाता का ही सहायक बन सकेगा।

(38) मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित उम्मीदवारों के सामने मतपेटी में डाले गये मतपत्रों को कोटिवार छाँटा जायेगा एवं उन्हें अलग–अलग कार्टून में रखा जायेगा, तब निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक कार्टून में रखे गये मतो की गणना करेगा तथा प्रत्येक कोटि से उम्मीदवारों के नाम और उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त मतों की संख्या का उल्लेख करते हुए प्रपत्र–10 में अलग–अलग परिणाम पत्र (रिजल्ट शीट) तैयार करेगा, तथा जिन उम्मीदवार/उम्मीदवारों को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए हों, उन्हें भरी जाने वाली रिक्तियों के अनुसार निर्वाचित घोषित करेगा।

(39) निर्वाचित सदस्यों को प्रपत्र–11 में निर्वाचन प्रमाण–पत्र उसी समय पावती लेकर हस्तगत करा दिया जाएगा।

(40) पुनर्गणना– अगर कोई पक्ष पर्याप्त आधार देते हुए पुनर्गणना का अनुरोध करे तो अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।

(41) बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में परिणाम का निर्णय लॉटरी द्वाराः– किन्ही दो या अधिक उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होने की स्थिति में परिणाम का निर्णय पर्ची के माध्यम से लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरणः– लॉटरी द्वारा परिणाम का विनिश्चय उसी स्थिति में किया जाना है जब रिक्तियाँ कम हो एवं बराबर मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या अधिक हो। उदाहरण स्वरूप अगर 3 रिक्तियों के विरूद्ध 5 उम्मीदवारों को क्रमशः 15, 15, 12, 10 एवं 10 मत प्राप्त होते है, तो इस स्थिति में लॉटरी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, एवं प्रथम 15, 15, 12 मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार निर्वाचित घोषित कर दिए जायेंगे। किन्तु अगर मत 20, 12, 10, 10 एवं 10 के क्रम में प्राप्त होते है तो 20 एवं 12 मत प्राप्त करने वाले दो उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा तथा शेष 3 उम्मीदवारों के बीच (जिनमें से प्रत्येक को 10–10 मत प्राप्त हुए है) परिणाम का विनिश्चय पर्ची द्वारा लॉटरी निकाल कर किया जाएगा।

इसी प्रकार अगर प्रथम 4 उम्मीदवारों को 15–15 मत एवं पाँचवे को 2 मत प्राप्त होते है, तो प्रथम चार उम्मीदवारों के बीच लॉटरी द्वारा तीन उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जा सकेगा।

(42) शपथ ग्रहणः– निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन प्रमाण–पत्र निर्गत करने के तुरंत बाद निर्वाचित सदस्यों को प्रपत्र–13 के आलोक में शपथ ग्रहण करायेगा। 2 (दो) पदेन सदस्यों का भी शपथ ग्रहण निर्वाचित सदस्यों के साथ ही करा लिया जायेगा।

(43) समिति के निर्वाचित सदस्यों द्वारा बहुमत से अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव निर्वाचन प्राधिकार के सामान्य अथवा विशिष्ट निदेश के अधीन यथाशीघ्र कराया जाएगा।

(44) बैठक की सूचनाः– समिति के सदस्यों का निर्वाचन समाप्त हो जाने के अधिकतम सात (7) दिनों के अन्दर समिति के अध्यक्ष एवं सचिव पद का चुनाव संबंधित विद्यालय में किया जायेगा। इस हेतु सूचना निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्गत की जायेगी जिसमें चुनाव हेतु बैठक की तिथि, स्थान एवं समय का स्पष्ट उल्लेख रहेगा। उक्त सूचना में नामांकन पत्र प्रस्तुत करने और मतदान कराने की स्थिति में उसकी अवधि का भी उल्लेख किया जायेगा। बैठक की सूचना प्रपत्र–12 में निर्गत की जायेगी।

(45) निर्वाचन पदाधिकारीः– निर्वाचन प्राधिकार के निदेश के अधीन अनुमंडल पदाधिकारी अथवा समकक्षीय पदाधिकारी विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव का निर्वाचन कराने के लिए किसी अधिकारी/कर्मी को नामित करेगा। उस व्यक्ति को निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

(46) अध्यक्ष एवं सचिव का चुनावः– अध्यक्ष एवं सचिव समिति के कुल निर्वाचित सदस्यों के बीच से चुने जायेंगे। प्रथम निर्वाचन में अध्यक्ष पद पुरूष एवं महिला दोनों के लिए खुला रहेगा और सचिव पद महिला के लिए आरक्षित होगा। द्वितीय निर्वाचन में अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा और सचिव पद पुरूष एवं महिला दोनों के लिए खुला रहेगा। उत्तरवर्ती निर्वाचनों में इस क्रम की पुर्नावृति की जायेगी। महिला से अर्थ किसी भी कोटि की महिला से है।

(47) नामांकन हेतु अर्हताः– (1) जो निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरेंगे, वे सचिव पद के लिए नामांकन नही दे सकेंगे। इसी प्रकार जो निर्वाचित सदस्य सचिव पद के लिए नामांकन भरेंगे वे अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नही दे सकेंगें।

(2) अध्यक्ष/सचिव पद के अभ्यर्थी के कम से कम दो प्रस्तावक (जो समिति के निर्वाचित सदस्य हों) अवश्य होने चाहिए अन्यथा उनका नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। प्रस्तावक स्वयं अध्यक्ष/सचिव पद के लिए उम्मीदवार नही हो सकेंगे। इसी प्रकार अध्यक्ष/सचिव पद के उम्मीदवार अध्यक्ष/सचिव पद के दूसरे उम्मीदवार के प्रस्तावक नहीं बन सकेंगे।

(48) नामांकन पत्र एवं नाम वापसीः– अध्यक्ष एवं सचिव पद के लिए अलग–अलग नामांकन प्रपत्र–7 में निर्वाचन पदाधिकारी को दिया जायेगा। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की सरसरी तौर पर जाँच की जायेगी एवं नाम वापसी के लिए एक घंटा का समय दिया जायेगा। नाम वापसी की सूचना प्रपत्र–8 में दी जायेगी। इस अवधि के बीत जाने के पश्चात् अगर अध्यक्ष पद के लिए मात्र एक एवं सचिव पद के लिए भी एक उम्मीदवार मैदान में रह जाता है तो उक्त उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए सम्यकरूपेण निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा। अगर उक्त अवधि के बाद दोनो में से किसी एक या दोनों पदो के लिए नामांकित उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक रह जाती है तो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया के अनुसार ही गुप्त मतदान के जरिए यथास्थिति अध्यक्ष/सचिव पद के लिए मतदान कराया जायेगा एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जायेगा। सदस्यों के निर्वाचन की तरह अध्यक्ष/सचिव के निर्वाचन के लिए भी प्रतीक चिह्न आंवटित किये जायेंगे।

(49) निर्वाचन की प्रक्रियाः– अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचनः– अगर अध्यक्ष पद के लिए एक से अधिक अभ्यर्थी विधिमान्य रूप से नामांकित किया जाता है, तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :–

(क) निर्वाचन पदाधिकारी मत देने हेतु अर्हित एवं बैठक में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को प्रपत्र–9 में एक मतपत्र, जिसमें सभी सम्यक् रूप से नामांकित अभ्यर्थियों के नाम तथा नाम के सामने प्रतीक चिह्न रहेंगे, वितरित करेगा अथवा वितरित कराएगा;

(ख) मत देने का इच्छुक सदस्य तब अपना मत अंकित करने हेतु आगे आयेगा एवं जिस अभ्यर्थी के लिए वह मत देना चाहता है उसके नाम के आगे मोहर से निशान लगायेगा, किन्तु, मतपत्र पर हस्ताक्षर नही करेगा एवं इस उद्देश्य हेतु रखी गयी मतपेटी में मतपत्र को डाल देगा;

(ग) तत्पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये मतों की गणना करेगा। अगर मात्र दो अभ्यर्थी हैं, तब वह बहुमत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा। अगर दोनों अभ्यर्थियों को समान मत प्राप्त होते हैं तब उन दोनो के बीच निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पर्ची के माध्यम से लॉटरी निकाली जायेगी, तथा जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉटरी निकले, उसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ मानकर कार्रवाई की जायेगी;

(घ) अगर दो से अधिक अभ्यर्थी सम्यक रूप से नामांकित हैं, तब परिणाम विनिश्चित करने हेतु विलोपन की निम्नलिखित पद्धति अपनाई जायेगी;

(1) मतों की रिकॉर्डिग एवं गणना के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त कुल मतों की घोषणा करेगा। किसी एक अभ्यर्थी को कुल दिये गये मतों की संख्या के आधे से अधिक मत प्राप्त होने पर उसे सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(2) अगर किसी भी अभ्यर्थी को कुल मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं होता है, तब सबसे कम मत प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी को विलोपित कर दिया जायेगा एवं नये सिरे से मत लिया जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रखी जायेगी जबतक कि किसी एक अभ्यर्थी को कुल दिये गये मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त नहीं हो जाता है, एवं तत्पश्चात् उसे सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।

(3) अगर प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में दिये गये मतों की संख्या समान है, या सबसे कम मत प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के पक्ष में समान संख्या में मत प्राप्त हुये है, तब उनमें एक अभ्यर्थी लॉटरी निकालकर विलोपित किया जायेगा।

उदाहरणः– (क) 12 दिये गये मतो में A को 7 मत एवं B को 5 मत प्राप्त होते है, तो A सम्यक से निर्वाचित हो जायेगा।

(ख) 12 दिये गये मतो में A को 6 मत एवं B को 6 मत प्राप्त होते है, तो दो अभ्यर्थियों में से एक के विलोपन के लिये लॉटरी निकाली जायेगी।

(ग) 12 दिये गये मतो में A को 4 मत एवं B को 4 मत एवं C को 4 मत प्राप्त होते है, तो एक अभ्यर्थी के विलोपन के लिए लॉटरी निकाली जायेगी तथा पुनः मत लिया जायेगा।

(घ) 12 दिये गये मतो में A को 6 मत एवं B को 4 मत तथा C को 2 मत प्राप्त होते है, तो C को विलोपित कर दिया जायेगा एवं सदस्य A एवं B के लिये पुनः मत लिया जायेगा।

(ङ) 12 दिये गये मतो में A को 6 मत एवं B को 3 मत एवं C को 3 मत प्राप्त होते हैं, तब B या C के विलोपन के लिये लॉटरी निकाली जायेगी तथा आगे मत लिया जायेगा।

(50) सचिव पद का निर्वाचनः– सचिव के निर्वाचन में भी उपर्युक्त पद्धति अपनाई जायेगी।

(51) परिणाम की घोषणाः– परिणाम प्रपत्र–10 में तैयार किया जायेगा एवं निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा घोषित किया जायेगा। परिणामों की घोषणा के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थी को प्रपत्र–11 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा।

(52) शपथ–ग्रहणः– निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद प्रपत्र–13 के आलोक में अध्यक्ष एवं सचिव को शपथ ग्रहण करायेगा।

(53) समिति का निबंधनः– निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति के 3 दिनों के अंदर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी समिति को एक संस्था के रूप में निबंधित करेंगे तथा इस आशय की सूचना ग्राम–पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा

पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी को देंगे। समिति के कार्यकाल की गणना निबंधन की तिथि से की जायेगी।

(54) समिति के सदस्यों की सूची का प्रकाशन एवं प्रेषणः— जिला दण्डाधिकारी अपने जिला अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय शिक्षा समिति के सभी सदस्यों की सूची समिति के निबंधन के 15 दिनों के अन्दर जिला गजट में प्रकाशित करेंगे। तथा उसकी प्रति निर्वाचन प्राधिकार एवं मानव संसाधन विकास विभाग को भी प्रेषित की जायेगी।

(55) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्वाचको को निर्वाचन नियमों से अवगत कराया जायेगाः— प्राधिकार के निदेशन के अधीन नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के सहयोग से माता—पिता निर्वाचको की एक बैठक बुलायेगा तथा उन्हें समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु नियमों एवं प्रक्रियाओं से अवगत करायेगा।

(56) निर्वाचन प्राधिकार को प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्तिः— अगर उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार समिति के सदस्यों/अध्यक्ष/सचिव के चुनाव कराने में कोई व्यवहारिक कठिनाई हो तो निर्वाचन प्राधिकार ऐसी प्रक्रिया अपनाने हेतु स्वतंत्र होगा जो वह उचित समझे अथवा जो अधिनियम के प्रावधानो से असंगत न हो।

(57) निर्वाचन अभिलेख समुचित अभिरक्षा में रखे जायेंगेः— निर्वाचन परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद उम्मीदवारों की उपस्थिति में निर्वाचन अभिलेखों को सीलबंद कर निर्वाचन पदाधिकारी उसे अपने पास रखेगा, तथा सामान्यतः 45 (पैंतालीस) दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात अथवा अगर कोई अपील दायर की गई है तो उसके निस्तारण के पश्चात्, निर्वाचन अभिलेखों को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक को अपनी अभिरक्षा में रखने हेतु सुपुर्द कर देगा। प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक निर्वाचन अभिलेख को अपनी अभिरक्षा में कम से कम नब्बे (90) दिनों तक रखेगा, उसके उपरान्त इसे नष्ट कर देगा। निर्वाचन अभिलेख में निम्नलिखित सम्मिलित होंगेः—

(क) दाखिल नामांकन पत्रों का सेट;

(ख) मतपेटी में डाले गये मतपत्र;

(ग) मतो की गणना के पश्चात तैयार परिणाम पत्र।

(58) कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं करने वाले अधिकारी दंडित होंगेः— अगर निर्वाचन प्राधिकार संतुष्ट हो कि कोई निबंधन पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तथा समिति के निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध किसी पक्ष को लाभ या हानि पहुँचाने के उद्देश्य से निर्वाचन में कदाचार, पक्षपात अथवा नियमों का उल्लंघन करने का दोषी है, तो चुनाव प्राधिकार की अनुशंसा पर राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध विभागीय एवं अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगी।

(59) निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने अथवा अशांति/अव्यवस्था फैलाने वाले माता—पिता अथवा अन्य व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगीः— जो भी माता—पिता अथवा अन्य व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते अथवा गलत आचरण करते अथवा अशांति/अव्यवस्था फैलाते हुए पाये जायेंगे, निर्वाचन पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के अधीन कानूनी कार्रवाई की जायेगी। उत्श्रृंखल आचरण करने वाले माता—पिता को निर्वाचन के अयोग्य ठहराने का अधिकार भी संबंधित जिला दण्डाधिकारी को होगा।

(60) विधि—व्यवस्था की जिम्मेवारी— निर्वाचन प्राधिकार के निदेशन के अधीन निर्वाचन का संचालन पूरी निष्पक्षता तथा भयमुक्त वातावरण में सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी ऐसी सभी समुचित व्यवस्थायें कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे। आरक्षी अधीक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह जिला दण्डाधिकारी के निदेशों के अधीन विधि—व्यवस्था एवं अन्य कार्यो के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार आरक्षी बल उपलब्ध कराये।

(61) आपात स्थिति में मतदान का स्थगनः— यदि मतदान केन्द्र पर मतदान के दौरान बलवा, हिंसा, प्राकृतिक विपदा, मतदान सामग्री के विनष्ट किये जाने या किसी अन्य पर्याप्त कारण से मतदान कराया जाना संभव नहीं हो तब निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदान स्थगित किया जा सकेगा और वह तत्क्षण कारण सहित इसकी सूचना अनुमंडल दण्डाधिकारी को देगा।

(62) (क) समिति की बैठक प्रत्येक माह में आयोजित की जायगी;

(ख) विद्यालय शिक्षा समिति का कोई सदस्य जब संतोषप्रद स्पष्टीकरण के बिना विद्यालय के शिक्षा समिति के लगातार चार बैठकों में अनुपस्थित रहे तो समिति बहुमत के आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त कर सकेगी लेकिन पदेन सदस्यों के विरूद्ध इस तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकेंगी।

(63) माता–पिता समूह से निर्वाचित 12 सदस्यों की सदस्यता तब तक रहेगी जब तक कि उनके बच्चे विद्यालय में नामांकित हो। विद्यालय में बच्चे के नामांकित नहीं रहने या अन्य कारणों से आकस्मिक रिक्तियों की स्थिति में जिस कोटि से रिक्ति हुई है यथासंभव सर्वसम्मति से मनोनयन द्वारा एवं सहमति नहीं होने पर बहुमत से चुनाव द्वारा रिक्तियों को भरा जायगा।

(64) समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्यो का त्याग–पत्रः– विद्यालय के सचिव एवं अन्य सदस्य अपना त्याग पत्र समिति के अध्यक्ष को दे सकेंगे तथा इसकी एक प्रति संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को भी देंगे। त्याग पत्र की सत्यता की जाँच समिति के अध्यक्ष के द्वारा पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर कर ली जायेगी। त्याग पत्र देने के पाँच दिनों के अन्दर त्याग पत्र वापस लिया जा सकेगा। समिति के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सौपेंगे तथा इसकी एक प्रति संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को भी देंगे। अध्यक्ष भी अपना त्याग पत्र पाँच दिनों के अन्दर वापस ले सकेंगे। पाँच दिनों की अवधि बीत जाने के बाद त्याग पत्र स्वीकार्य माना जायेगा जिसकी विधिवत् घोषणा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के द्वारा की जायेगी।

(65) विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष/सचिव/सदस्यों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच राज्य सरकार द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से अन्यून पदाधिकारी के द्वारा करायी जा सकेगी। इस विषयक परिवाद पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ दिए जा सकेंगे। इस निमित्त जाँच किस पदाधिकारी द्वारा करायी जाये, इसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जायेगा। राज्य सरकार अपनी शक्ति जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/अन्य प्रशासी पदाधिकारी को एक राज्यादेश के तहत स्थायी/अस्थायी रूप से प्रतिनिधायन (delegate) कर सकेगी। दोष प्रमाणित होने पर सदस्यों का सीमित बैठकों के लिए निलंबन, चेतावनी या निष्कासन किया जा सकेगा। सदस्यों के द्वारा कदाचार तथा समिति की निधि के दुरूपयोग, गबन के मामले में कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी। निष्कासन के फलस्वरूप रिक्तियों को विहित प्रक्रिया के तहत भरा जा सकेगा।

(66) (क) अगर राज्य सरकार का यह समाधान हो कि किसी विद्यालय की शिक्षा समिति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय के हित में कार्य नहीं कर रही है तथा विद्यालय का विकास इस समिति से संभव नहीं है या समिति सरकार द्वारा निदेशित कार्यो को पूरा करने में असफल रह रही है तो सरकार समिति को भंग कर नये समिति का गठन करने का निर्णय ले सकेगी। सरकार इस तरह का निर्णय जिला शिक्षा अधीक्षक/जिला शिक्षा पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिला पदाधिकारी एवं अन्य के प्रतिवेदन के आधार पर कर सकेगी। इस निमित्त सरकार अपनी शक्ति का प्रतिनिधायन एक राज्यादेश के तहत किसी पदाधिकारी/प्राधिकार को कर सकेगी;

(ख) विद्यालय के शिक्षा समिति के भंग कर दिये जाने की सूचना संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी को दी जायेगी। जिला पदाधिकारी इस आशय की सूचना चुनाव प्राधिकार को देंगे जो समिति के गठन की कार्रवाई करेगी।

(67) अध्यक्ष या सचिव के विरूद्ध अविश्वास प्रस्तावः– (क) विद्यालय शिक्षा समिति दो तिहाई बहुमत द्वारा अध्यक्ष अथवा सचिव के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकेगी;

(ख) ऐसा अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष/सचिव के कार्यभार ग्रहण से एक वर्ष की अवधि के पूर्व नहीं लाया जा सकेगा;

(ग) अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो जाये, तो समिति की शेष कार्यावधि के दौरान नया अविश्वास प्रस्ताव नही लाया जा सकेगा;

(घ) अविश्वास प्रस्ताव की अधियाचना समिति के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम आधे सदस्यों के हस्ताक्षर से अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से दी जायेगी, जो अधियाचना प्राप्ति के दस दिनों के अन्दर अध्यक्ष/सचिव सहित समिति के अन्य निर्वाचित सदस्यों को सूचना देगा कि अमुक तिथि को अमुक स्थान एवं समय पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जायेगी, तथा गुप्त मतदान कराया जायेगा। मतदान में अध्यक्ष एवं सचिव सहित केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकेंगे। मनोनीत/पदेन सदस्यों

को बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होगा। अगर निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य यथा स्थिति अध्यक्ष अथवा सचिव अथवा दोनों के विरूद्ध मतदान करते है, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित माना जायेगा तथा उसी समय से संबंधित पद रिक्त घोषित कर दिया जायेगा;

(च) रिक्त हुए पद के विरूद्ध यथाशीघ्र इस नियमावली के उपबंधों के अनुरूप निर्वाचन कराया जायेगा।

(68) बच्चों के संदर्भ में विद्यालय शिक्षा समिति का कार्य क्षेत्र विद्यालय का पोषक क्षेत्र होगा।

(क) प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अपने क्षेत्र के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की सहायता से प्रत्येक विद्यालय के पोषक क्षेत्र को अवधारित करेंगे। सामान्य परिस्थिति में प्राथमिक विद्यालयों के पोषक क्षेत्र अलग–अलग रहेंगे लेकिन एक ही गाँव/पंचायत/नगर निकाय के मध्य विद्यालय के पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत एक या एक से अधिक प्राथमिक विद्यालयों के पोषक क्षेत्र सम्मिलित हो सकते हैं। पोषक क्षेत्रों के निर्धारण के संबंध में आपत्ति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को समर्पित की जायेगी जो अपने मंतव्य के साथ क्षेत्राधीन अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक) को आपत्ति समर्पित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर आपत्तियों के संबंध में निर्णय ले सकेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी आपत्तियों के निराकरण तथा इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिए सक्षम पदाधिकारी होंगे;

(ख) अगर किसी टोला, मोहल्ला को एक से अधिक भिन्न विद्यालयों के पोषक क्षेत्र में सम्मिलित करने या नहीं करने का विवाद हो तो इसके निर्धारण का आधार उस टोले/मोहल्ले से विद्यालय की दूरी तथा टोले, मोहल्ले एवं विद्यालय के बीच भौगोलिक अवरोधों की उपस्थिति होगी;

(ग) किसी ग्राम पंचायत/नगर निकाय में अवस्थित विद्यालयों के पोषक क्षेत्र निर्धारण उपरान्त इस आशय की सूचना विद्यालय के सूचना पट, ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर निकाय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय, एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाशित की जायगी।

(69) अधिनियम की धारा 21 (2) के अतिरिक्त समिति निम्न कार्य करेंगीः–

(क) विद्यालय के पोषक क्षेत्र के भीतर 6–14 आयुवर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना तथा उनके शिक्षा का अधिकार को सुनिश्चित करना;

(ख) विद्यालय भवन निर्माण, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था;

(ग) मध्याह्न भोजन की व्यवस्था हेतु आवश्यक निर्णय लेना और उसका पर्यवेक्षण करना;

(घ) यह ध्यान रखना कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यो में नहीं लगाया जाय;

(ङ) शिक्षकों के लगातार अथवा आदतन अनुपस्थिति, उनके द्वारा बच्चों की प्रताड़ना, अपमान अथवा भेदभाव करने के बारे में समिति द्वारा समुचित अनुसंधान के बाद सक्षम प्राधिकार को प्रतिवेदन देना;

(च) प्रत्येक विद्यालय वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के कम से कम 2 (दो) माह पूर्व विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के प्राप्त दिशा–निदेश के आलोक में तैयार की जायेगी जिसमें विद्यालय के समग्र विकास के लिए कार्य योजना का वर्णन होगा तथा विद्यालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न अनुदानों के व्यय का भी प्रस्ताव होगा। समिति द्वारा पारित विद्यालय विकास योजना को माता–पिता की सभा के समक्ष रखकर उसका अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। माता–पिता सभा द्वारा अनुमोदित विद्यालय विकास योजना प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक को प्रेषित की जायगी;

(छ) समय–समय पर आवश्यकतानुसार समिति को अन्य कार्य सौंपे जा सकते है।

(70) प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति के नाम से एक निधि का सृजन किया जायगा जिसमें विद्यालय को सभी विधिमान्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि जमा की जायेगी। इस निधि का संचालन समिति के सचिव एवं प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(71) समिति की बैठकों का संचालन :–

(क) बैठक का आयोजनः– समिति की बैठक का आयोजन समिति के गठन के उपरान्त प्रत्येक माह किया जायेगा। बैठक अध्यक्ष की सहमति से सचिव के द्वारा आहूत की जायेगी। इस आशय की सूचना, सूचना पंजी/पत्र के माध्यम से कम से कम सात दिन पूर्व दिया जाना आवश्यक होगा। अध्यक्ष, समिति की बैठक आपात स्थिति में तीन दिन की सूचना पर भी आहूत कर सकते हैं। बैठक आहूत करने संबंधी किसी आदेश/सूचना में बैठक का समय, स्थान एवं कार्यसूची का उल्लेख होना आवश्यक होगा। सामान्य स्थिति में बैठक विद्यालय परिसर में ही आहूत की जायेगी। लेकिन विशेष परिस्थिति में (विद्यालय भवन नहीं रहने एवं क्षतिग्रस्त रहने इत्यादि) बैठक का आयोजन अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान पर किया जा सकता है। बैठक यथासंभव (विद्यालय में स्थान नहीं होने की स्थिति में) सार्वजनिक स्थान पर ही आयोजित किये जायें;

समिति की बैठक की कार्यसूची में, दो बैठकों के बीच की अवधि में की गयी वित्तीय निकासी की समीक्षा विषय कार्य सूची का एक स्थायी विचारणीय बिन्दु होगा। जबतक इस अवधि में की गयी निकासी की संपुष्टि समिति के द्वारा नहीं कर ली जाती है तबतक अगली निकासी नहीं की जा सकेगी।

(ख) बैठक की अध्यक्षताः– बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष द्वारा की जायेगी। अध्यक्ष समिति के प्रथम बैठक में ही दो सदस्यों को नामित करेंगें जो उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कर सकेंगे;

(X) बैठक नहीं आहूत किये जाने की स्थितिः– अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठकों को आहूत नहीं किये जाने पर समिति के कम से कम तीन सदस्य अपने हस्ताक्षर से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को इस आशय की सूचना देंगे और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी 15 (पन्द्रह) दिनों के अन्दर बैठक का आयोजन कराएगें। बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष/उनके द्वारा नामित 2 (दो) सदस्यों में से किसी एक द्वारा की जायेगी। लेकिन अगर अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अध्यक्षता के लिए नामित दोनो सदस्य अनुपस्थित रहते हैं, तो आपसी सहमति या मतदान द्वारा उक्त बैठक के लिए अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जायेगा;

(?k) निःशक्त बच्चों के माता या पिता का समिति में मनोनयनः– समिति के गठन के उपरान्त समिति के सदस्यगण विद्यालय में नामांकित निःशक्त बच्चों में से किसी एक बच्चा के माता या पिता को सदस्य के रूप में सर्वसहमति से या सहमति नहीं होने पर साधारण बहुमत से मनोनीत करेंगे। मनोनीत सदस्य का कार्यकाल समिति के कार्यकाल की समाप्ति अथवा बच्चा (निःशक्त बच्चा) का विद्यालय में नामांकित रहना, जो भी पहले हो, तक रहेगा। इस कोटि के मनोनीत सदस्य बैठकों में भाग लेंगे लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा;

(p) बैठको का पर्यवेक्षणः– सामान्यतया बैठक में समिति के सदस्य एवं विद्यालय के शिक्षकगण भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त मानव संसाधन विकास विभाग के पदाधिकारियों, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय के अध्यक्ष/महापौर बैठक में भाग ले सकेंगे। बाल संसद के एक (1) सदस्य (प्रधानमंत्री/प्रधान छात्र) तथा मीनामंच के प्रभारी भी बैठक में भाग ले सकेगें। लेकिन सदस्यों (14 सदस्यों के समूह) के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागियों को मत देने का अधिकार नहीं होगा;

विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष द्वारा समिति की बैठक में समिति के सदस्यों के अलावा अन्य के भाग नहीं लेने का निर्णय लिया जा सकता है। अध्यक्ष विशेष परिस्थति में विशेषज्ञ/जानकार व्यक्ति/व्यक्तियों को बैठक में आमंत्रित कर सकते हैं लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(N) बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम):– बैठक के लिए कम से कम एक तिहाई सदस्य जिसमें कम से कम तीन निर्वाचित सदस्य हो का उपस्थित होना आवश्यक होगा। बैठक में निर्वाचित/मनोनीत/पदेन सदस्य का सदेह उपस्थित होना आवश्यक है। सदस्यों को उनके पति, पत्नी, पुत्र या अन्य के द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकेगा। अगर बैठक में सदस्यों के बदले अन्य के भाग लेने का प्रमाण मिलता है तो यह अध्यक्ष के स्तर पर कदाचार माना जायेगा;

(t) समिति का निर्णयः– समिति कार्य सूची में अंकित विषयों पर विचार करेगी। यह अपेक्षा की जाती है कि यथासंभव निर्णय सर्वसम्मति से लिया जायेगा लेकिन विशेष परिस्थिति में मतदान कराया जा सकता है। मतदान खुला होगा तथा किसी प्रस्ताव के पक्ष विपक्ष में डाले गये मतों का उल्लेख बैठक की कार्यवाही में होगा;

(>) बैठक की कार्यवाहीः— प्रत्येक बैठक की कार्यवाही पंजी में अंकित की जायेगी जिसमें अध्यक्ष, सचिव एवं सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर होगा। प्रत्येक बैठक की सम्पुष्टि आगामी बैठक में की जायेगी। बैठक की कार्यवाही पुस्तिका विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक की अभिरक्षा में रखी जायेगी।

(72) पंचायती राज संस्था/नगर निकायों के साथ समन्वयः—

(क) विद्यालय शिक्षा समिति अपने गतिविधियों से संबंधित प्रतिवेदन वर्ष में दो बार पंचायती राज संस्थाओं/नगर निकायों को समर्पित करेगी। प्राथमिक विद्यालय के मामले में ग्राम पंचायत को तथा मध्य विद्यालय, बुनियादी विद्यालय के मामले में पंचायत समिति को एवं नगर निकायों के अधीन प्राथमिक एवं मध्य/बुनियादी विद्यालय से संबंधित नगर निकायों को प्रतिवेदन दिया जायगा;

(ख) प्राप्त प्रतिवेदन पर पंचायती राज संस्था/नगर निकाय यथोचित विचार—विमर्श करेगी;

(ग) पंचायती राज संस्था/नगर निकाय विद्यालय शिक्षा समिति के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में समिति से प्रतिवेदन की माँग कर सकती है;

(घ) पंचायती राज संस्था/नगर निकाय अपने क्षेत्रान्तर्गत विद्यालय शिक्षा समिति के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच स्वयं या किसी पदाधिकारी से करा सकेगी। जाँच प्रतिवेदन पर संबंधित पंचायती राज संस्थाएँ/नगर निकाय जिसके द्वारा जाँच की गई हो या कराई गयी हो, सम्यक् रूप से विचार करते हुए अपनी अनुशंसा जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजेगी। जिला शिक्षा अधीक्षक समिति से प्राप्त प्रतिवेदन पर अपने प्रदत्त शक्ति के अंदर आवश्यक कार्रवाई 30 दिनों के अंदर कर सूचित करेंगे। वैसे मामले में जहाँ जिला शिक्षा अधीक्षक को निर्णय लेने की शक्ति प्रदत्त नहीं है, वे अपनी अनुशंसा सरकार या सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार को कार्रवाई हेतु भेजेंगे।

भाग— VI

शिक्षक

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ शिक्षक की न्यूनतम योग्यता

14. (1) केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत शैक्षिक प्राधिकार के द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में नियुक्त होने वाले शिक्षक हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाएगी।

(2) उप नियम (1) में वर्णित शैक्षिक प्राधिकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) के प्रत्येक विद्यालय पर लागू होगी।

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ न्यूनतम योग्यता में छूट

15. (1) राज्य सरकार अधिनियम के लागू होने के छः माह के अंदर अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) में वर्णित सभी विद्यालयों के लिए अनुसूची में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन करेगी।

(2) यदि उपनियम (1) के आधार पर शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन के अनुसार राज्य के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण देनेवाली संस्थाएँ नहीं हो या नियम 14 के उपनियम (2) के अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध नहीं हों, तो अधिनियम के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के अंदर राज्य सरकार निर्धारित न्यूनतम योग्यता में छूट हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध करेगी।

(3) उपनियम (2) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अनुरोध की केन्द्र सरकार समीक्षा करेगी और अधिसूचना के माध्यम से न्यूनतम योग्यता में छूट दे सकेगी।

(4) उपनियम (3) में वर्णित अधिसूचना में छूट की प्रकृति एवं समय—सीमा का उल्लेख होगा जो अधिनियम के लागू होने के पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगा, जिसके अंदर नियुक्त शिक्षकों को अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त करना होगा।

(5) अधिनियम लागू होने के छः माह के बाद उप नियम 3 की अधिसूचना के बिना किसी भी विद्यालय में ऐसे शिक्षक नियुक्त नहीं किये जा सकेगें जो अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित शैक्षिक प्राधिकार के द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हों।

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (2) के परन्तुक के अन्तर्गत न्यूनतम योग्यता हासिल करना

16. (1) राज्य सरकार अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उप कंडिका (i) एवं (iii) में वर्णित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए पर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी जो नियम 15 के उपनियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता अधिनियम के लागू होने के समय नहीं रखतें हों ताकि अधिनियम के लागू होने के पाँच वर्षो के अंदर वे निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें।

(2) अधिनियम की धारा 2 की कंडिका (n) की उप कंडिका (ii) एवं (iv) में वर्णित विद्यालयों के शिक्षक, जो अधिनियम के लागू होने के समय नियम 15 के उपनियम (2) के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हों, ऐसे विद्यालय का प्रवंधन ऐसे शिक्षकों को अधिनियम के लागू होने के 5 (पाँच) वर्षों के अंदर न्यूनतम योग्यता हासिल करने हेतु व्यवस्था करेगा।

अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ शिक्षकों के वेतन, भत्ता एवं सेवा–शर्त्त

17. (1) राज्य सरकार शिक्षकों के एक पेशेवर एवं स्थायी संवर्ग निर्माण हेतु वेतन, भत्ता एवं सेवा शर्त्तों को अधिसूचित करेगी।

(2) उपनियम (1) के लिए बिना पूर्वाग्रह एवं विशेष रूप से सेवा शर्त्तों के निर्धारण में निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखा जायेगाः–

(क) अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत गठित विद्यालय शिक्षा समिति के प्रति शिक्षक जबावदेह हों।

(ख) शिक्षकों को लंबे समय तक शिक्षण पेशा में बने रहने के लिए अनुकूल परिवेश निर्माण का प्रावधान हों।

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) की कंडिका (F) के प्रयोजनार्थ शिक्षकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य एवं दायित्वः–

18. (1) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) में निर्धारित दायित्वों के निष्पादन करेंगे तथा अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) की कंडिका (h) की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए शिक्षक प्रत्येक बच्चे का छात्र संचयी अभिलेख का संधारण करेगा, जो अधिनियम धारा 30 की उपधारा (2) में निर्धारित प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र प्रदान करने का आधार होगा।

(2) अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) की कंडिका (a) से (e) में निर्धारित दायित्वों के अलावे शिक्षक द्वारा नियमित शिक्षण–कार्य को बिना बाधित किये निम्नांकित कार्य सम्पादित किए जाएँगेः–

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना;

(ख) पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यक्रम का विकास, प्रशिक्षण मॉडयूल एवं पाठ्यपुस्तक का विकास।

अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ शिक्षकों के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया

19. (1) अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित विद्यालय शिक्षा समिति शिक्षकों के लिए प्रथम स्तर का शिकायत निवारण स्तर होगा।

(2) राज्य सरकार, जिला स्तर पर एक प्राधिकार गठित करेगी जो शिक्षकों के "शिकायत निवारण प्रक्रिया" के रूप में कार्य करेगा।

अधिनियम की धारा 25 के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विद्यालय में छात्र–शिक्षक अनुपात को बरकरार रखना

20. (1) राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकार, जो लागू हो, के द्वारा विद्यालय के लिए स्वीकृत शिक्षक इकाई को नियमावली के लागू होने की तिथि के तीन माह के अंदर अधिसूचित किया जायेगा।

"वशर्ते कि राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार उपनियम (1) में वर्णित अधिसूचना के पूर्व स्वीकृत इकाई से अतिरिक्त शिक्षकों की पुनः तैनाती कर लें"

(2) सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार का कोई व्यक्ति यदि अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो वह व्यक्तिगत तौर पर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा।

भाग– VII

प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं पूर्णता

अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत शैक्षिक प्राधिकार का कार्य

21. शैक्षिक प्राधिकार के निम्न कार्य होंगेः–

(1) उम्र–सापेक्ष, अनुकूल आयुवर्ग के अनुसार प्रासंगिक पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा अन्य अधिगम सामग्री तैयार करना।

(2) सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण की रूप–रेखा का विकास करना,

(3) बच्चों के सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शिका तैयार करना।

(4) विद्यालय की समग्र गुणवता के मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण तथा इसका नियमित क्रियान्वयन करना।

अधिनियम की धारा 30 के प्रयोजनार्थ प्रमाण–पत्र देना

22. (1) बच्चों के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के एक माह के अंदर उन्हें प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता का प्रमाण पत्र विद्यालय के द्वारा निर्गत कर दिया जाएगा।

(2) उपनियम (1) में संदर्भित प्रमाण–पत्र में निम्न बातों का भी उल्लेख होंगाः–

(क) प्रमाणित किया जाता है कि छात्र ने अधिनियम की धारा 29 में सन्निहित पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर लिया है;

(ख) इसमें छात्र संचयी अभिलेख के साथ छात्र के पाठ्यक्रम से बाहर के क्रियाकलापों, जिसमें संगीत, नृत्य, खेल–कूद आदि सम्मिलित हो सकता है, का भी उल्लेख होना चाहिए।

भाग– VIII

बच्चों के अधिकार का संरक्षण

अधिनियम की कंडिका 31 के प्रयोजनार्थ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन एवं दायित्वों का निर्वहन

23. (1) राज्य सरकार के द्वारा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन की कार्रवाई अधिनियम के आलोक में की जाएगी।

(2) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अपने कार्यों के निर्वहन में वैसे मामलों पर भी कार्य करेगी जो उसे राज्य सलाहकार परिषद् के द्वारा भेजे जायेंगे।

(3) राज्य सरकार, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग में एक कोषांग गठित करने की कार्रवाई करेगी, जो आयोग को उनके कार्यो के निर्वहन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

बच्चों के अधिकार संरक्षण संबंधी शिकायत राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष दर्ज करने का तरीका

24. (1) राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा एक बाल सहायता प्रणाली (Child Help Line) स्थापित की जाएगी, जो लघु संवाद सेवा (SMS), दूरभाष एवं पत्र के पहुँच के दायरे में होगी और जो अधिनियम अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार के हनन से प्रताड़ित बच्चों/अभिभावकों के शिकायत को दर्ज करने के फोरम के रूप में इस प्रकार कार्य करेगी, जिसमें उसकी पहचान दर्ज होगी लेकिन उसे दूसरों को नहीं बताया जाएगा।

(2) हेल्प लाईन में दर्ज सभी शिकायतों की पारदर्शी रूप से राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा ऑनलाइन (On Line), सजग एवं क्रियाशील प्रणाली के माध्यम से अनुश्रवण की जायेंगी।

अधिनियम की धारा 34 के प्रयोजनार्थ राज्य सलाहकार परिषद् का गठन एवं कार्य

25. (1) राज्य सलाहकार परिषद् में एक सभापति एवं 14 सदस्य होंगे।

(2) मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री इस परिषद् के पदेन सभापति होंगे।

(3) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल विकास क्षेत्र का ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के बीच से की जायगी यथाः

(क) कम–से–कम चार सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे;

(ख) कम–से–कम एक सदस्य, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से लिये जाएँगे;

(ग) एक सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से लिए जाएँगे;

(घ) कम–से–कम दो सदस्य शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से होंगे;

(च) उपर्युक्त सदस्यों में से 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।

(4) मानव संसाधन विकास विभाग के द्वारा परिषद् की बैठकों तथा इसके अन्य कार्यों के हेतु आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराई जायेगी।

(5) परिषद् के कार्य के विनियमन की प्रक्रिया इस प्रकार होगीः–

(क) सभापति द्वारा निर्धारित तिथियों को, परिषद् की बैठकें नियमित रूप से होंगी, लेकिन दो बैठकों के बीच का अंतराल तीन माह से अधिक का नहीं होगा;

(ख) परिषद् की बैठक की अध्यक्षता सभापति के द्वारा की जाएगी। किसी कारणवश सभापति द्वारा बैठक में भाग नहीं लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा परिषद् के किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता हेतु नामित किया जा सकेगा। परिषद् की बैठक की गणपूर्त्ति के लिए कुल सदस्यों के 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी;

(6) परिषद् के सदस्यों की नियुक्ति की अवधि एवं शर्तें इस प्रकार होगीः–

(क) प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कार्यग्रहण की तिथि से दो वर्षो का होगा, परन्तु किसी भी सदस्य का कार्य काल दो बार से अधिक मान्य नहीं होगा;

(ख) राज्य सलाहकार परिषद् के सदस्य को अपने कार्य से राज्य सरकार के द्वारा एक आदेश के माध्यम से दुर्व्यवहार, अक्षमता अथवा निम्न में से किसी एक या अधिक कारण से हटाया जा सकेगाः–

(1) यदि दिवालिया घोषित हो;

(2) कार्य करने से इंकार कर दे या कार्य करने में अक्षम हो जाए;

(3) यदि मानसिक रूप से असंतुलित हो और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया हो;

(4) कार्य के दौरान अपने पद के दुरूपयोग का दोषी पाया जाये जिससे कि उसका कार्य पर बने रहना लोकहित में घातक हो तथा किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा किसी अपराध कि लिए दंडित किया गया हो;

(5) बिना अवकाश लिए परिषद् की दो लगातार बैठकों में बिना सूचना अनुपस्थित रहा हो।

(ग) किसी भी सदस्य को अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकेगा जब तक कि उसे सुनने का पर्याप्त अवसर न प्रदान किया गया हो;

(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु, पदत्याग अथवा अन्य कारणों से सदस्यों का पद रिक्त होता है तो उक्त रिक्ति को उपनियम 3 के प्रावधानों के अनुरूप 120 (एक सौ बीस) दिनों के अंदर नई नियुक्ति से भरा जायेगा;

(च) परिषद् के सदस्य कार्यालयीय दौरा, भ्रमण और यात्राओं के एवज में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यात्रा–भत्ता एवं दैनिक–भत्ता के हकदार होंगे।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्तिः–

26. इस नियमावली के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों को लागू करने में उत्पन्न कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति मानव संसाधन विकास विभाग की होगी।

निरसन एवं व्यावृत्तिः–

27. राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश/परिपत्र आदि, जो किसी अधिनियम अथवा नियमावली के अधीन निर्गत नहीं है, और इस नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं, वे इस नियमावली की अधिसूचित होने की तिथि से निरस्त माने जाएँगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

(अंजनी कुमार सिंह)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 8/व3–157/2003 अंश1 533 पटना, दिनांक 12.05.2011

प्रतिलिपिः– सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

(अंजनी कुमार सिंह)

ज्ञापांक 8/व3–157/2003 अंश1 533 पटना, दिनांक 12.05.2011

प्रतिलिपिः– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी (असैनिक)/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक/सभी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी/सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

(अंजनी कुमार सिंह)

ज्ञापांक 8/व3–157/2003 अंश1 533 पटना, दिनांक 12.05.2011

प्रतिलिपिः– आप्त सचिव, माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग एवं प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ।

ह०/–

(अंजनी कुमार सिंह)

ज्ञापांक 8/व3–157/2003 अंश1 533 पटना, दिनांक 12.05.2011

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के असाधारण अंक में अधिसूचना को प्रकाशित करने एवं इसकी 5000 (पाँच हजार) प्रतियाँ विभाग में उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

(अंजनी कुमार सिंह)

अनुलग्नक

प्रपत्र 1

विद्यालय की प्रस्वीकृति हेतु स्वघोषणा–सह–आवेदन पत्र

(बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 के नियम 11 के उपनियम (1) को देखें)

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–सचिव

प्रस्वीकृति समिति

जिला.......................................

महाशय,

बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की अनुसूचि में वर्णित मानक एवं मापदंड के आलोक में मैं एक स्वघोषणा करता/करती हूँ एवं विहित प्रपत्र में (विद्यालय का नाम एवं पता).......................... की प्रस्वीकृति हेतु आवेदन समर्पित कर रहा/रही हूँ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकों का ब्योराः

स्थानः

दिनांकः

प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/व्यवस्थापक
का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्वघोषणा–प्रपत्र

क. विद्यालय–विवरण		
1.	विद्यालय का नाम	
2.	शैक्षणिक सत्र	
3.	जिला	
4.	पत्राचार का पता	
5.	गाँव/नगर	
6.	प्रखंड	
7.	पिन कोड	
8.	दूरभाष सं० एस०टी०डी० कोड के साथ	
9.	फैक्स नं०	
10.	ई–मेल पता (यदि कोई हो)	
11.	नजदीकी पुलिस स्टेशन	

ख. सामान्य सूचनाएँ				
1.	स्थापना का वर्ष			
2.	पहली बार विद्यालय प्रारंभ होने की तिथि			
3.	ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति का नाम			
4.	क्या ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति निबंधित है?			
5.	ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति के निबंधन की वैधता अवधि			
6.	क्या ट्रस्ट/सोसाईटी/प्रबंधन समिति के गैरमालिकाना एवं अलाभकारी स्वरूप की संपुष्टि हेतु सदस्यों की सूची पता के साथ शपथ–पत्र के रूप में संलग्न है?			
7.	विद्यालय के चेयरमैन/प्रेसीडेंट/मैनेजर के कार्यालय का पता			
	नाम			
	पदनाम			
	पता			
	दूरभाष			कार्यालयः आवासः
8.	अंतिम तीन वर्षों के कुल आय एवं व्यय (बचत/घाटा)			
	वर्ष	**आय**	**व्यय**	

ग. विद्यालय की प्रकृति एवं क्षेत्र		
1.	शिक्षण का माध्यम	
2.	विद्यालय का प्रकार (प्रवेश एवं निकास की कक्षाएँ अंकित करें)	
3.	यदि सहायता प्राप्त है, तो सहायता प्रदत करने वाली एजेंसी का नाम एवं सहायता का प्रतिशत	
4.	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है,	
5.	यदि हाँ तो किस प्राधिकार द्वारा निबंधित संख्या	
6.	क्या विद्यालय के पास अपना भवन है या यह किसी किराये के भवन में संचालित है?	
7.	क्या विद्यालय का भवन/अन्य आधारभूत संरचनाएँ/मैदान केवल शिक्षा और कौशल के विकास के लिए व्यवहृत की जाती है?	
8.	विद्यालय का कुल क्षेत्रफल	
9.	विद्यालय के क्षेत्र (परिसर) में क्या–क्या सुविधाएँ/संरचनाएँ है?	

घ. नामांकन स्थिति			
	वर्ग	**सेक्सन की संख्या**	**विद्यार्थियों की संख्या**
1.	पूर्व प्राथमिक		
2.	1–5		
3.	6–8		

च. आधारभूत संरचना का ब्योरा एवं स्वच्छता की स्थिति			
	कक्ष	**संख्या**	**औसत आकार**
1.	वर्गकक्ष		
2.	कार्यालय कक्ष–सह–भंडार कक्ष–सह–प्रधानाध्यापक कक्ष		
3.	रसोईघर–सह–भंडार		

छ. अन्य सुविधाएँ		
1.	क्या सभी सुविधायें अवरोधरहित पहुँच के अन्तर्गत हैं	
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री (सूची संलग्न करें)	
3.	खेल–कूद सामग्री (सूची संलगन करें)	
4.	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधा	

	• पुस्तकों की संख्या • पत्रिकाएँ/समाचार पत्र	
5.	पेयजल सुविधा के प्रकार एवं संख्या	
6.	स्वच्छता की स्थिति	
	1. डब्लू०सी० और मूत्रालय का प्रकार	
	2. बालकों के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	
	3. बालिकाओं के लिए अलग मूत्रालय एवं शौचालय की संख्या	

ज. शिक्षकों का ब्योरा			
1. केवल प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले शिक्षकों का ब्योरा (प्रत्येक शिक्षक के लिए अलग–अलग)			
	शिक्षक का नाम (1)	**पिता/पति/पत्नी का नाम (2)**	**जन्म–तिथि (3)**
	शैक्षिक योग्यता (4)	**व्यवसायिक योग्यता (5)**	**शैक्षणिक अनुभव (6)**
	किस वर्ग के शिक्षक है (7)	**नियुक्ति की तिथि (8)**	**प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)**
2. प्रधान शिक्षक			
	शिक्षक का नाम (1)	**पिता/पति/पत्नी का नाम (2)**	**जन्म–तिथि (3)**
	शैक्षिक योग्यता (4)	**व्यवसायिक योग्यता (5)**	**शैक्षणिक अनुभव (6)**
	किस वर्ग के शिक्षक है (7)	**नियुक्ति की तिथि (8)**	**प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)**

1 एवं 2 के मामले में यथा उपयुक्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

झ. पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या		
1.	पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का विवरण, जो प्रत्येक वर्ग में पालन किया जाता है (वर्ग 8 तक)	
2.	छात्रों के आकलन की पद्धति	
3.	क्या विद्यालय के छात्रों को वर्ग 8 के लिए किसी बोर्ड की परीक्षा देनी पड़ती है?	

ट. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा सूचनाओं को जिला सूचना संग्रहण प्रपत्र (डायस) में भी समर्पित किया गया है।

ठ. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय किसी भी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया गया है, से निरीक्षण के लिए तैयार है।

ड. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय, मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा समय–समय पर माँगे जाने वाले प्रतिवेदन एवं सूचनाओं को भरकर उपलब्ध करायेगा एवं उचित प्राधिकार द्वारा जो भी निर्देश दिया जाएगा, उसका अनुपालन कर विद्यालय की मान्यता के निर्धारित मापदंड को पूरा करने एवं विद्यालय के क्रियाकलाप कमियों को दूर करने हेतु निरंतर प्रयास करेगा।

ढ़. प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अभिलेख वैसे पदाधिकारी, जो राज्य सरकार द्वारा अधिकृत हों, को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जायेगा और विद्यालय उन सभी सूचनाओं को उपलब्ध करायेगा, जिससे केन्द्र/स्थानीय निकाय या प्रशासन को संसद/राज्य के विधान सभा/पंचायत/नगर निगम (जो भी लागू हो) के प्रति जवाबदेही को निर्वहन करने में सक्षम होगा।

ह०/–
प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/व्यवस्थापक

स्थानः

प्रपत्र 2

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय

पत्रांक **दिनांक**

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

विषयः– **बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।**

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन–पत्र दिनांक.................................... और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय.................................... (विद्यालय का नाम एवं पूरा पता)............................ कक्षा से .... तक संचालन हेतु तीन वर्षो...................... से .... अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तों के अनुपालन के अधीन होगीः

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।

2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक–1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक–2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।

5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता–पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म–स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएँगेः

   i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न हीं किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

   ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।

   iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।

   iv. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

   v. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

vi. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते है, वे 5 वर्षो के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii. शिक्षक निजी–स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण–गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवतः–
विद्यालय–परिसर का क्षेत्रफल;
कुल निर्मित क्षेत्र;
खेल के मैदान का क्षेत्र;
वर्गकक्षों की कुल संख्या;
प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडार कक्ष;
बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग–अलग शौचालय;
पेयजल की सुविधा;
मध्याह्न भोजन के लिए रसोई–घर;
बाधारहित पहुँच;
शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल–कूद उपकरण/पुस्तकालय;

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या........... है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय–समाय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्त्तों के लगातार रूप

से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–सचिव

प्रपत्र–3

................................विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक सूची।

क्रम संख्या	बच्चे के पिता का नाम	बच्चे के माता का नाम	माता–पिता नही रहने की स्थिति में वैधानिक अभिभावक का नाम	बच्चे का नाम	वर्ग

<u>प्रपत्र–4</u>

निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने हेतु दावा

सेवा में,

निबंधन पदाधिकारी,

.....................................,

विद्यालय शिक्षा समिति निर्वाचन क्षेत्र

महाशय,

उक्त विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचन के लिए प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में मेरा नाम सम्मिलित नहीं है, जबकि मैं...................................... विद्यालय में वर्ग .... में पढ़ने वाले छात्र/छात्रा श्री/सुश्री .... का पिता/माता/अभिभावक हूँ। कृपया मेरा नाम शिक्षा समिति के निर्वाचन हेतु तैयार की जा रही निर्वाचक सूची में सम्मिलित कर लिया जाए।

विश्वासभाजन,

....,

....,

....

<u>निबंधन पदाधिकारी का आदेश</u>

जाँचोपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि आवेदक का दावा सही है/सही नहीं है। निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने से संबंधित इनका दावा स्वीकृत/अस्वीकृत' किया जाता है (जो लागू नही हो, उसे काट दें)।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–5

विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचन हेतु तैयार निर्वाचक सूची में गलत व्यक्ति का नाम दर्ज रहने के संबंध में आपत्ति।

महाशय,

..............................विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचन हेतु प्रकाशित प्रारूप निर्वाचक सूची में .... क्रमांक पर दर्ज श्री .... एवं श्रीमती.. (क) उनके पुत्र/पुत्री अन्य विद्यालय (विद्यालय का नाम...) के छात्र/छात्रा है। (ख) इनके मामले में सामान्य अहर्त्ता ....का अभाव है। अतः इनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया जाए।

विश्वासभाजन,

....,

....,

....

निबंधन पदाधिकारी का आदेश

जाँचोपरान्त मैं संतुष्ट हूँ कि आपत्तिकर्त्ता की आपत्ति 'सही/गलत' पाई गयी है। अतः आपत्ति 'स्वीकृत/अस्वीकृत' की जाती है (जो लागू नही हो, उसे काट दें)। स्वीकृति की स्थिति में मतदाता सूची से संबंध्ति व्यत्तिफ का नाम हटाने का आदेश दिया जायेगा।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–6

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की सूचना

सेवा में,

..................................,

विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचन

हेतु पंजीबद्ध सभी माता–पिता सदस्य।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि विद्यालय शिक्षा समिति के 12 (बारह) सदस्यों का निर्वाचन किया जाना हैः–

उपर्युक्त में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए भी स्थान आरक्षित हैं, जिनके संबंध में विस्तृत जानकारी निर्वाची पदाधिकारी अथवा संबंधित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी अथवा विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जा सकती है।

सदस्यों का निर्वाचन .... विद्यालय के प्रांगण में निम्न कार्यक्रम के अनुसार सम्पन्न कराया जायेगा।

कार्यक्रम– (1) नामांकन देने की तिथि– ....

(2) नामांकन दाखिल करने की अवधि– 10 बजे पूर्वाह्न से 2 बजे अपराह्न तक

(3) संवीक्षा की तिथि– 2 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक

(4) नाम वापस लेने की अवधि– 4 बजे अपराह्न तक

(5) विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन– 5 बजे अपराह्न तक

(6) मतदान की तिथि– ....

(7) मतदान का समय– 8 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक

(8) परिणाम की घोषणा, प्रमाण–पत्र का वितरण एवं शपथ ग्रहण– 6 बजे अपराह्न तक

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–7

............विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य/अध्यक्ष/सचिव के निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र

अभ्यर्थी का नाम .... पिता/पति का नाम .... उम्र ....पता ....छात्र/छात्रा का नाम एवं वर्ग, जिसका अभ्यर्थी माता/पिता है .... शिक्षा समिति की निर्वाचक सूची में अभ्यर्थी का क्रमांक .... कोटि– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, महिला, गैर महिला सामान्य
प्रथम प्रस्तावक का नाम ....
निर्वाचक सूची में क्रमांक ....
हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान ....
द्वितीय प्रस्तावक का नाम ....
निर्वाचक सूची में क्रमांक ....
हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान ....

एतद् द्वारा मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है, एवं उपर्युक्त पद के लिए अपने नामांकन से मैं सहमत हूँ।

तिथि ....   **अभ्यर्थी का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान**

(निर्वाची पदाधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

क्रमांक ....

यह नामांकन पत्र (स्थान का नाम) में दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में मुझे अभ्यर्थी द्वारा दिया जाएगा। नामांकन पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत' किया जाता है। अस्वीकृति की स्थिति में कारण लिखें।

निर्वाची पदाधिकारी/सहायक
निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

....

नामांकन पत्र की पावती रसीद

श्री .... का नामांकन पत्र मुझे दिनांक .... को .... बजे पूर्वाह्न/अपराह्न में अभ्यर्थी द्वारा परिदत्त किया गया।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोटः– जो लागू नहीं हो काट दें। कोटि अध्यक्ष/सचिव के चुनाव में लागू नहीं होगा।

<u>प्रपत्र–8</u>

नाम वापसी की सूचना

सेवा में,

निर्वाची पदाधिकारी

विद्यालय शिक्षा समिति...।

मै .... पिता/पति .... उक्त विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य/अध्यक्ष /सचिव पद के निर्वाचन हेतु अपना नामांकन वापस लेता/लेती हूँ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

<u>प्रपत्र–9</u>

मतपत्र

.... विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य/अध्यक्ष/सचिव पद के निर्वाचन के लिए

क्रमांक	कोटि	अभ्यर्थी का नाम	चुनाव चिह्न	मोहर के लिए स्थान

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

<u>प्रपत्र–10</u>

.... विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य/अध्यक्ष/सचिव निर्वाचन के मतों की गणना का परिणाम पत्र

क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी के पक्ष में दिए गए विधिमान्य मतों की संख्या	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या

मै यह घोषित करता हूँ कि क्रमांक .... नाम/पता .... उपर्युक्त पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

तारीख.........................   **निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

<u>प्रपत्र–11</u>

निर्वाचन प्रमाण–पत्र

मैं .... निर्वाची पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैने दिनांक .... माह .... वर्ष .... को श्री/श्रीमती .... जो श्री/श्रीमती .... के/की पुत्र/पत्नी हैं, और जो .... के/की .... निवासी हैं, ... विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य/अध्यक्ष/सचिव के रूप में सम्यकरूपेण निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण–पत्र दिया है।

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर)

<u>प्रपत्र–12</u>

समिति के अध्यक्ष/सचिव पद के लिए निर्वाचन की सूचना

सेवा में,

श्री/श्रीमती..........................

.... विद्यालय शिक्षा समिति के निर्वाचित सदस्य।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि .... विद्यालय समिति के अध्यक्ष/सचिव पद के निर्वाचन हेतु एक बैठक दिनांक .... को .... विद्यालय के प्रांगण में .... बजे से आयोजित की गयी है। कृपया बैठक में भाग लें। विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत् हैः–

(1) सदस्यों की उपस्थिति–10 बजे पूर्वाह्न से 11 बजे पूर्वाह्न तक।

(2) नामांकन पत्र दाखिल करना– 11 बजे पूर्वाह्न से 12 बजे तक।

(3) नाम वापस लेने की अवधि–1 बजे अपराह्न तक।

(4) आवश्यकतानुसार मतदान की अवधि–1 बजे अपराह्न से 3 बजे अपराह्न तक।

(5) निर्वाचन परिणाम की घोषणा, प्रमाण–पत्र वितरण एवं शपथ ग्रहण–3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक।

स्थान ....

तारीख ....

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर)

<u>**प्रपत्रा–13**</u>

शपथ–पत्र

मैं .... सत्यनिष्ठा से ईश्वर की शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूँगा/रखूँगी तथा अपने कर्त्तव्य का, जिस पर मैं आरूढ़ होने वाला/वाली हूँ पालन बिना भय या पक्षपात, स्नेह या भावना से रहित होकर करूगाँ/करूँगी मैं कर्त्तव्य पालन में अपेक्षानुसार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई बात जो मेरे विचाराधीन होगी या मालूम होगी, प्रकट नहीं करूँगा।

स्थान ....

तारीख ....

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर
(मुहर)

अनुसूची–1

अनुसूची-1

विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य के पद हेतु

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित प्रतीक

1. स्टोव

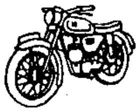
2. मोटरसाईकिल

3. नल

4. बल्ब

5. जीप

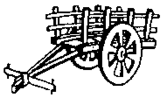
6. बैलगाड़ी

7. वैन

8. हाथ ठेला

9. लट्टू

10. हल

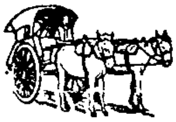
11. टमटम

12. फोन

13. टाइपराईटर

14. ढाल

15. छाता

. भोजन की थाली

17. टी-सेट

18. पानी का जहाज

19. ट्रक

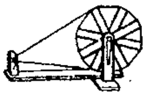
20. चरखा

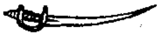
21. तलवार

<u>**अनुसूची–2**</u>

.... विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्य पद के निर्वाचन हेतु विधिमान्य रूप से नामांकित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती .... .को .... प्रतीक चिह्न आवंटित किया जाता है।

निर्वाची पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तारीख ....

स्थान ....